अध्याय III
निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा

अध्याय III

निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा

भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 (क), मौलिक अधिकार के रूप में छह से 14 वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (संशोधित 1992), 14 वर्ष तक के उम्र के सभी बच्चों को संतोषजनक गुणात्मक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प करती है। आर.टी.ई. अधिनियम आगे प्रारम्भिक शिक्षा हेतु सर्वव्यापी पहुँच, बालकों के अनिवार्यतः नामांकन, सार्वभौमिक प्रतिधारण और प्रारम्भिक शिक्षा की पूर्णता के लिए प्रेरणा देता है।

3.1 शैक्षिक संकेतकों की स्थिति

आर.टी.ई. अधिनियम छह से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालकों को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक उनके पड़ोस में स्थित विद्यालय में निःशुल्क एंव अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है। सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा को हासिल करना, भारत के मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स (एम.डी.जी.) में से एक था, जिसका लक्ष्य 2015 तक, हर जगह के बच्चों को, बालक और बालिकाओं को समान रूप से, प्राथमिक शिक्षा का एक पूर्ण कोर्स करने के योग्य बनाना सुनिश्चित करना था। प्राथमिक शिक्षा में निवल नामांकन अनुपात (Net Enrolment Ratio) और कक्षा एक से आरंभ कर कक्षा पाँच तक जाने वाले छात्रों का समानुपात, एम.डी.जी. उपलब्धि को मापने का संकेतक था ।

3.1.1 राज्य में निवल नामांकन अनुपात की उपलब्धि

सकल नामांकन अनुपात (जी.ई.आर.) और निवल नामांकन अनुपात (एन.ई.आर.) मुख्य रूप से प्रयोग किए गए विद्यालय सहभागिता संकेतक है। किसी आयु समूह का जी.ई. आर., विशिष्ट शिक्षा स्तर (स्टेज) में अनुमानित बाल जनसंख्या के अनुपात रूप में उस आयु समूह में जो कि उस शिक्षा स्तर (स्टेज) के लिए उपयुक्त है, में नामांकित बच्चों की संख्या है। जी.ई.आर., शैक्षिक प्रणाली में सहभागिता के लिए पात्र जनसंख्या के संबंध में शैक्षिक प्रणाली के संपूर्ण कवरेज को दर्शाता है। किसी आयु समूह का निवल नामांकन अनुपात (एन.ई.आर.) आयु उपयुक्त शिक्षा स्तर को प्राप्त कर रहे बच्चों की संख्या है, उस आयु समूह के अनुमानित बाल जनसंख्या का अनुपात है।

सकल नामांकन अनुपात =	(प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या) * 100 ÷ (छह से 14 आयु समूह में बच्चों की संख्या)
निवल नामांकन अनुपात =	(प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आयु समूह नामांकित बच्चों की संख्या) * 100 ÷ (आयु समूह में बच्चों की संख्या)

2010–11 से 2015–16 के दौरान राज्य में, सभी प्रबंधन विद्यालयों में प्रारम्भिक शिक्षा में नामांकन की स्थिति **तालिका 3.1** में दर्शित है :–

तालिका 3.1: राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा में नामांकन

(आंकड़े लाखों में)

वर्ष	प्राथमिक शिक्षा (कक्षा I से V)	उच्च प्राथमिक शिक्षा (कक्षा VI से VIII)	प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा I से VIII)
2010–11	106.58	47.66	154.24
2011–12	103.98	49.22	153.20
2012–13	99.51	50.84	150.35
2013–14	95.03	49.92	144.95
2014–15	86.62	48.15	134.77
2015–16	80.94	46.86	127.80

(स्त्रोतः आर.एस.के. द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

इस प्रकार, 2010–11 से 2015–16 के दौरान प्रारंभिक शिक्षा में नामांकन में समग्र रूप से 26.44 लाख की गिरावट थी, जिसमें कि 25.64 लाख की गिरावट प्राथमिक शिक्षा (कक्षायें I से V) नामांकन में थी और 0.80 लाख की गिरावट उच्च प्राथमिक (कक्षायें VI से VIII) शिक्षा नामांकन में थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि नामांकन में गिरावट मुख्य रूप से बच्चों के ड्रॉपआउट और प्राथमिक स्तर शिक्षा से उच्च प्राथमिक स्तर शिक्षा के ट्रांजिशन लास के कारण था, जैसा कि उत्तरवर्ती कंडिकाओं में विवेचित है।

यू–डाईस, डाटा कैप्चर फार्मेट के रूप में पूरे देश में सभी विद्यालयों में शिक्षा हेतु उपयोग किया जाना है। यू–डाईस के अनुसार मार्च 2016 की स्थिति में राज्य में प्रारंभिक शिक्षा के लिए जी.ई.आर. और एन.ई.आर. की अन्य पडोसी राज्यों और राष्ट्रीय औसत से तुलना **चार्ट 3.1** में दर्शित है ।

चार्ट 3.1: मध्य प्रदेश एवं अन्य राज्यों में जी.ई.आर. एवं एन.ई.आर. की तुलना

बड़ी संख्या में बच्चों के ड्राप आउट के कारण, एन.ई.आर. की दृष्टि से मध्य प्रदेश की उपलब्धि अखिल भारतीय औसत से कम थी।

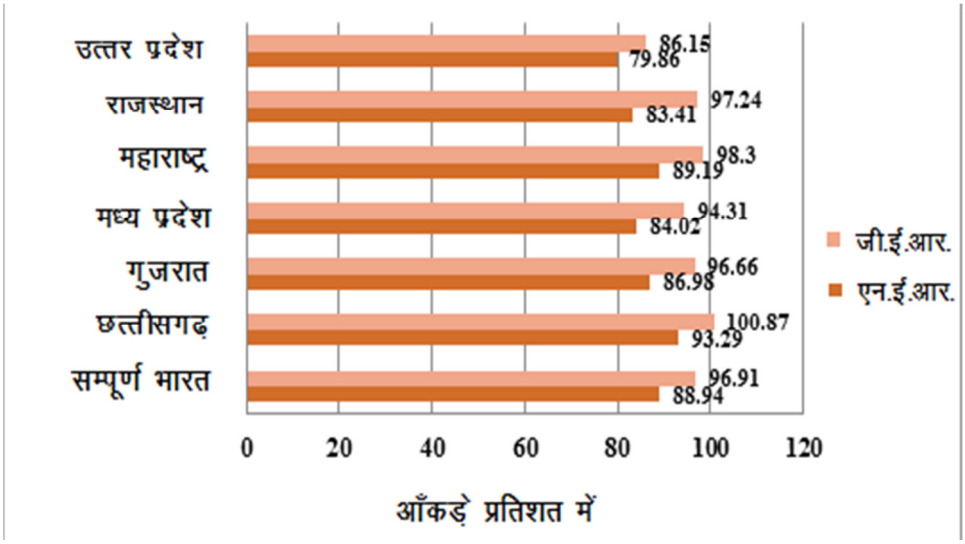

(स्त्रोतः मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के यू–डाइस प्रतिवेदन 2015–16)

इस प्रकार, एन.ई.आर. की दृष्टि से मध्य प्रदेश की उपलब्धि अखिल भारतीय औसत और अन्य पड़ोसी राज्य, नामतः छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र से कम थी। तथापि, मध्य प्रदेश का एन.ई.आर. राजस्थान और उत्तर प्रदेश से अधिक था। 2010–11 और 2015–16 के मध्य राज्य की जी.ई.आर. और एन.ई.आर. की उपलब्धि **तालिका 3.2** में वर्णित है:

तालिका 3.2: राज्य में जी.ई.आर. और एन.ई.आर. की तुलनात्मक स्थिति

(आँकड़ा प्रतिशत में)

संकेतक	प्राथमिक				उच्च प्राथमिक			
	2010–11		2015–16		2010–11		2015–16	
	राज्य	अखिल भारत	राज्य	अखिल भारत	राज्य	अखिल भारत	राज्य	अखिल भारत
जी.ई.आर.	136.65	118.62	94.47	99.21	102.11	81.15	94.02	92.81
एन.ई.आर.	अनुपलब्ध	99.89	79.83	87.30	71.54	61.82	72.31	74.74

(स्त्रोतः मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की यू–डाईस प्रतिवेदन)

जैसा कि तालिका 3.2 से स्पष्ट है, 2010–11 और 2015–16 के मध्य में, राज्य ने उच्च प्राथमिक स्तर पर एन.ई.आर. में, एक प्रतिशत का मामूली (Marginal) वृद्धि हासिल की थी। तथापि, उच्च प्राथमिक स्तर पर एन.ई.आर. के संदर्भ में राज्य की उपलब्धि, अखिल भारतीय स्तर के 21 प्रतिशत की औसत वृद्धि की तुलना में काफी कम थी। आगे, 2010–16 के दौरान, उच्च प्राथमिक स्तर पर जी.ई.आर. आठ प्रतिशत से कम हो गया था।

प्राथमिक स्तर पर राज्य का जी.ई.आर. वर्ष 2010–11 के दौरान 136.65 प्रतिशत से घटकर, वर्ष 2015–16 के दौरान 94.47 प्रतिशत हो गया था। 2010–11 और 2015–16 के मध्य, प्राथमिक स्तर पर जी.ई.आर. में गिरावट की दर 31 प्रतिशत थी, जो कि उसी अवधि में अखिल भारतीय स्तर पर जी.ई.आर. में गिरावट की दर 16 प्रतिशत की तुलना में काफी अधिक था। प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2010–13 के लिए राज्य का एन.ई.आर. उपलब्ध नहीं था। तथापि, प्राथमिक स्तर पर एन.ई.आर. में 93.66 प्रतिशत (2013–14) से 79.83 प्रतिशत (2015–16) की गिरावट थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि बड़ी संख्या में ड्रॉपआउट के कारण, राज्य में प्राथमिक स्तर पर नामांकन अनुपात नीचे गिरा था।

ए.डब्ल्यू.पी.एण्ड बी. में जी.ई.आर. और एन.ई.आर. बढ़ाकर बताना

आगे, संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि राज्य द्वारा, भारत सरकार की यू–डाईस प्रतिवेदन की तुलना में, जी.ई.आर. और एन.ई.आर. की उपलब्धि को बढ़ाकर बताया गया था। मार्च 2016 को जी.ई.आर. और एन.ई.आर. की रिर्पोटिंग में भिन्नता **तालिका 3.3** में दर्शित है।

तालिका 3.3: मार्च 2016 को जी.ई.आर. और एन.ई.आर. बढ़ाकर बताना

(आंकडे प्रतिशत में)

संकेतक	भारत सरकार के यू–डाईस प्रतिवेदन के अनुसार		राज्य के ए.डब्ल्यू.पी.एण्ड बी. के अनुसार	
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
जी.ई.आर.	94.47	94.02	115	113
एन.ई.आर.	79.83	72.31	99.52	99.57

(स्त्रोतः आर.एस.के. का ए.डब्ल्यू.पी. एण्ड बी. 2016–17 और मानव संसाधन एंव विकास मंत्रालय, भारत सरकार का यू–डाईस प्रतिवेदन 2015–16)

आर.एस.के., राज्य के डाटा और यू–डाईस डाटा में भिन्नता का कोई उपयुक्त कारण प्रदान नहीं कर सका और सूचित किया (जून 2017) कि यू–डाईस प्रतिवेदन और ए.

डब्ल्यू.पी. एण्ड बी. आंकड़ो में अंतर, बाल जनसंख्या की गणना करने के लिए अपनाए गए तरीकों में अंतर और डाटा संकलन के समय में भिन्नता के कारण हो सकता है।

3.1.2 कक्षा I से आरंभ कर कक्षा V तक पहुंचने वाले छात्रों का समानुपात

आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 8 (2) के अंतर्गत, राज्य सरकार से, छह से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करें, यह सुनिश्चित करना अपेक्षित था। कक्षा I से आरंभ कर कक्षा V तक पहुंचने वाले छात्रों का समानुपात, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के एम.डी.जी. को मापने का एक संकेतक था।

वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान, कक्षा I में नामांकित हुए विद्यार्थियों की संख्या और जिन्होंने उच्चतर कक्षाओं में शिक्षा जारी रखी, **तालिका 3.4** में वर्णित है ।

तालिका 3.4: कक्षा I में आरंभ कर कक्षा V तक पहुंचने वाले छात्रों का समानुपात

(आंकड़े लाख में)

नामांकन वर्ष	कक्षा I में नामांकित छात्रों की संख्या	छात्रों की संख्या जिन्होंने अपनी शिक्षा उच्चतर कक्षाओं में जारी रखी एवं ड्रापआउट का प्रतिशत				समग्र ड्रापआउट		
		II	III	IV	V	संख्या	प्रतिशत	टिप्पणियां
2010–11	23.38	21.85 (7)	20.55 (6)	19.42 (5)	17.83 (8)	5.55	24	कक्षा V तक ड्रापआउट
2011–12	20.45	18.99 (7)	18.11 (5)	16.59 (8)	15.77 (5)	4.68	23	कक्षा V तक ड्रापआउट
2012–13	20.51	19.09 (7)	17.48 (8)	16.55 (5)	–	3.96	19	कक्षा IV तक ड्रापआउट
2013–14	19.27	17.20 (11)	16.28 (5)	–	–	2.99	16	कक्षा III तक ड्रापआउट
2014–15	17.52	16.28 (7)	–	–	–	1.24	7	कक्षा II तक ड्रापआउट

(स्रोतः आर.एस.के. द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

बालकों के कक्षा I में नामांकन के बाद राज्य, बालकों के सार्वभौमिक प्रतिधरण एम. डी.जी. लक्ष्य को हासिल नहीं कर सका।

इस प्रकार, राज्य सरकार, छात्रों के कक्षा एक में नामांकन के बाद, छात्रों के प्रतिधारण के लिये एम.डी.जी. लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी, यद्यपि, आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत यह राज्य सरकार का दायित्व था कि वह प्रत्येक बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होना सुनिश्चित करे।

नमूना जांच किए गए जिलों में, वर्ष 2015–16 के दौरान शैक्षिक संकेतकों की स्थिति ***परिशिष्ट 3.1*** में दर्शित है। मार्च 2016 तक, इंदौर के अलावा, नमूना जांच किए गए जिलों का जी.ई.आर., राज्य स्तरीय जी.ई.आर. से निम्न था। पॉच जिलों में, बुरहानपुर, दतिया, झाबुआ, रतलाम और पन्ना में, प्राथमिक विद्यालय स्तर पर (कक्षा एक से पांच के लिए) ड्रॉपआउट दर, राज्य स्तर पर औसत ड्राप आउट दर से अधिक थी। जिला झाबुआ में, उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर (कक्षा छह से आठ के लिए) ड्रॉपआउट दर, राज्य स्तरीय ड्रॉपआउट दर से अधिक था।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, विभाग ने शैक्षिक संकेतकों की स्थिति पर कोई टिप्पणी नहीं की।

3.2 बालकों की पहचान

आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत, सरकार का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक बालक द्वारा अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करे। इस उद्देश्य के लिए, बच्चों की पहचान जिनके बाद उनका विद्यालय में नामांकन होगा एक महत्वपूर्ण आरंभिक कदम है।

आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 9 यह प्रावधान करती है कि प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी अपनी अधिकारिता के भीतर निवास करने वाले 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के अभिलेख रखेगा। आगे एम.पी.आर.टी.ई. नियम का नियम 6 विनिर्दिष्ट करता है कि स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अपनी अधिकारिता में परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से जन्म से 14 वर्ष तक की आयु पूरी करने वाले सभी बालकों के अभिलेख संधारित करेगा। स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता में बालक की पूर्व प्राथमिक/प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति, पलायन और कम घनत्व की बसाहट इत्यादि के कारण बालकों के लिए आवश्यक विशेष सुविधा/आवासीय सुविधाओं की जानकारी इस निर्दिष्ट अभिलेख में सम्मिलित होगा। आगे, प्रत्येक बालक के नामांकन, उसकी उपस्थिति तथा उसके सीखने के स्तर की उपलब्धि की निगरानी के लिए प्रत्येक बालक को एक यूनिक नंबर दिया जाना था।

स्थानीय प्राधिकारियों ने, एम.पी. आर.टी.ई. नियम के अंतर्गत निर्धारित, बालकों के अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि नमूना जांच किए गए जिलों में कोई भी स्थानीय प्राधिकारी, बालक के जन्म से 14 वर्ष तक की आयु पूरी करने वाले निर्धारित अभिलेख का रख–रखाव नहीं कर रहा था। आगे, संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि स्कूल शिक्षा विभाग, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम शिक्षा पंजी (वी.ई.आर.) और नगरीय क्षेत्रों में वार्ड शिक्षा पंजी (डब्ल्यू.ई.आर.) को अद्यतन करने हेतु शून्य से 14 वर्ष के बच्चों की पहचान करने के लिए 'स्कूल चलें हम' अभियान के अंतर्गत वार्षिक घर–घर जाकर परिवार सर्वेक्षण संचालित कर रहा था। तथापि, सर्वेक्षण के पश्चात पहचान किए गए बच्चों का उनके नामांकन की निगरानी के लिए, कोई यूनिक नंबर नहीं दिया गया था। आगे, ''स्कूल चले अभियान'' के अंतर्गत परिवार सर्वेक्षण के लिए निर्धारित प्रारूप में पलायन और कम घनत्व की बसाहट होने के कारण विशेष सुविधाएं/आवासीय सुविधाओं की आवश्यकता से संबंधित डाटा का कोई जिक्र नहीं था।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि आयुक्त आर.एस.के. ने अप्रैल 2011 में सभी जिलाधीशों और जिला पंचायत के सी.ई.ओ. को परिवार सर्वेक्षण करने के लिए पत्र जारी किए थे। अतः यह नहीं कहा जा सकता था कि स्थानीय प्राधिकारियों ने 2011 से परिवार सर्वेक्षण नहीं किया था। विभाग ने आगे बताया कि, डी.ई.ओ. पदेन अतिरिक्त सी.ई.ओ., जिला पंचायत था और विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, पदेन अतिरिक्त सी.ई.ओ. जनपद पंचायत था। इस प्रकार, ''स्कूल चले हम अभियान'' और वी.ई.आर./डब्ल्यू.ई.आर. का अद्यतन स्थानीय प्राधिकारियों के सहयोग से शिक्षा विभाग द्वारा किया गया था। वी.ई.आर./डब्ल्यू.ई.आर. एक विद्यालय में रखा गया था, जो कि एक स्थानीय प्राधिकारी विद्यालय था। विभाग ने बताया कि प्रत्येक बच्चों के लिए यूनिक आई.डी. समग्र आई.डी. के रूप में जारी किए जा रहे थे ।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान स्थानीय प्राधिकारियों ने सूचित किया कि आर.टी.ई. अधिनियम में निर्धारित कर्तव्य शिक्षा विभाग के जिला प्राधिकारियों द्वारा निष्पादित किए जा रहे थे। आगे, अभिलेखो की जांच से परिलक्षित हुआ कि स्कूल शिक्षा विभाग, आर.टी.ई. अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए, पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग (पी.आर.डी.डी.) के साथ–साथ नगरीय प्रशासन एंव विकास विभाग (यू.ए.डी.डी.) से पूर्व में अनुरोध (फरवरी 2010) कर चुका था। तथापि, पी.आर.डी.डी. ने स्कूल शिक्षा विभाग को सूचित (दिसंबर 2013) किया था कि आर.टी.ई. अधिनियम में स्थानीय प्राधिकारियों के लिए सौंपे गये

कर्तव्य, स्कूल शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय और फील्ड स्तरीय कर्मचारियों द्वारा निष्पादित किए जा रहे थे और इन कर्मचारियों की सेवाएं स्थानीय प्राधिकारियों को अंतरित नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि स्कूल शिक्षा विभाग ने आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारियों को आर.टी.ई. अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों के निष्पादन के लिए निर्देशित (सितम्बर 2014) किया था। जैसा कि निर्गम सम्मेलन के दौरान स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सूचित किया गया था, स्थानीय प्राधिकारियों के विभिन्न स्तरों में भूमिका एवं उत्तरदायित्वों को वर्णित करने के लिए अधिसूचना प्रक्रिया में थी ।

इस प्रकार, आर.टी.ई. अधिनियम के कार्यान्वयन के छह वर्ष बाद भी, राज्य सरकार, राज्य में 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों की निर्धारित अभिलेखों की तैयारी सुनिश्चित नहीं कर सकी। परिणामस्वरूप, विद्यालय में नामांकित बच्चों, विद्यालय से बाहर बच्चों और पलायन और कम घनत्व की बसाहट इत्यादि के कारण बालकों के लिए आवश्यक विशेष सुविधाएं/आवासीय सुविधाओं से संबंधित डाटा अविश्वसनीय रहें, जैसा कि उत्तरवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है ।

3.2.1 कमजोर वर्ग के बालकों का समावेशन

आर.टी.ई. अधिनियम के अधिनियम का एक उद्देश्य, शाला से बाहर बच्चों मुख्य रूप से अलाभान्वित समूह और मजदूरी में लगे हुए बच्चों की संख्या को कम करना था। मध्य प्रदेश के ए.डब्ल्यू.पी. एण्ड बी. 2011–12 के अनुमोदन के लिए, इसकी 162 वीं बैठक में परियोजना अनुमोदन बोर्ड ने बताया कि नगरीय क्षेत्र में अति कमजोर वर्ग के बच्चों तक पहुंचने के लिए परिवार सर्वेक्षण एक प्रभावशाली रणनीति नहीं थी क्योंकि इस प्रकार के सर्वेक्षण में स्ट्रीट चिल्ड्रन, वयस्क संरक्षण विहीन बच्चों, अस्थाई या अनाधिकृत रूप से रह रहे पलायन वाले बच्चों तथा मजदूरी कर रहे बच्चों को अभिलेखित नहीं किया जा रहा था। परियोजना अनुमोदन बोर्ड ने चिंता जाहिर की कि राज्य इन बच्चों की पहचान के लिए एक विश्वसनीय रणनीति नहीं बना सका। आगे, परियोजना अनुमोदन बोर्ड ने अपनी 235 वीं बैठक (मार्च 2016) में बताया कि राज्य सरकार ने विभिन्न कमजोर वर्गों जैसे कि आदिम आदिवासी समूह और उनके लिए किए गए पहल से संबंधित जानकारी प्रस्तुत नहीं की थी।

विभाग द्वारा कमजोर वर्ग के बालकों की पहचान, प्रारंभिक शिक्षा में उनके नामांकन के लिए नहीं की गई थी ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि वी.ई.आर./डब्ल्यू.ई.आर. के अद्यतन के लिए, ''स्कूल चले हम अभियान'' के अंतर्गत परिवार सर्वेक्षण के प्रारूप में कमजोर वर्ग के बच्चों का विवरण शामिल नहीं था। इस प्रकार, ''स्कूल चले हम अभियान'' के अंतर्गत विद्यालय में नामांकन के लिए कमजोर वर्ग के बालकों की पहचान नहीं हुई थी।

आगे, संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि राष्ट्रीय बालश्रमिक परियोजना (एन.सी.एल.पी.) जो कि रोजगार से निकाले गए बच्चों के पुनर्वास के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना थी, राज्य के 17 जिलों में क्रियान्वित की जा रही थी। एन.सी.एल.पी., सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 'विद्यालय से बाहर' के बच्चों के वार्षिक सर्वेक्षण के साथ अभिसरण प्रावधान करता है, ताकि जिला और राज्य स्तर पर किए जा रहे प्रयत्नों के दोहराव को कम किया जा सके। लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य में ऐसा कोई अभिसरण नहीं था।

आर.एस.के. ने बताया (जुलाई 2016) कि ऐसे बच्चे जो प्लेटफार्म, जो सड़क किनारे स्ट्रीट या बस स्टैण्ड पर रह रहे थे, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए श्रम विभाग द्वारा पृथक रूप से कवर किया गया था। निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान विभाग ने उत्तर दिया कि नगरीय क्षेत्रों के सर्वेक्षण के दौरान, गृह विहीन और स्ट्रीट में रह रहे बच्चों को भी कवर किया गया था। विभाग ने आगे बताया कि स्ट्रीट चिल्ड्रन, वयस्क संरक्षण विहीन बच्चों, पलायन वाले बच्चों, जो कि अस्थाई या अनाधिकृत बस्तियों में रह

रहे थे, के लिए एक विशेष अभियान वर्ष 2011 में संचालित किया गया था। सर्वेक्षण में, श्रम विभाग से अभिसरण के साथ कार्य स्थल पर बच्चों पर भी चयन केन्द्रित किया गया था। वर्ष 2016 में, यूनीफाइड डाटाबेस होने के निर्णय से शहरी क्षेत्र में बच्चों की पहचान सुनिश्चित के लिए एक अत्यधिक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया गया था ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि श्रम विभाग ने (मई 2017) सूचित किया था कि विभाग राज्य में बाल मजदूरी पर कोई सर्वेक्षण नहीं कर रहा था। इसके अतिरिक्त, श्रम आयुक्त, एन.सी.एल.पी. के अंतर्गत पहचान किए गए बाल मजदूरों और उनके पुनर्वास/शिक्षा के लिए कोई डाटा संकलित नहीं कर रहा था। आगे, आर.एस.के. ने सूचित (मई 2017) किया कि श्रम विभाग ने बाल मजदूरी पर किए गए सर्वेक्षण से संबंधित कोई जानकारी साझा नहीं की थी। उत्तर इस बात की पुष्टि करता है कि परिवार सर्वेक्षण अपूर्ण था क्योंकि इसने मार्जिनलाईज्ड (Marginalised) बच्चों की उपेक्षा की थी।

इस प्रकार, आर.टी.ई. अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए सर्वेक्षणों में कमजोर वर्ग के बच्चों को कवर नहीं किया गया था और प्रारंभिक शिक्षा के लिए उनका नामांकन सुनिश्चित नहीं किया गया था।

3.3 बालकों की विद्यालय तक पहुंच

आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 6 इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि के भीतर अर्थात् मार्च 2013 तक, पडोस में, जो विहित हो, एक विद्यालय की स्थापना का प्रावधान करता है। एम.पी.आर.टी.ई. नियम के अनुसार ''पडोस की सीमा'' से अभिप्रेत है, कक्षा एक से पांच की दशा में, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम तथा उसकी सीमा से लगे हुए ग्राम तथा नगरीय क्षेत्र की सीमा से लगे वार्ड, यदि कोई हो, तथा नगरीय क्षेत्र में, वार्ड तथा उसकी सीमा से लगे हुए वार्ड तथा उसकी सीमा से लगे हुए ग्राम, यदि कोई हो, तथा कक्षा छह से आठ की दशा में, इस सीमा से 3 किलामीटर का क्षेत्र।

एम.पी.आर.टी.ई. नियम आगे प्रावधान करता है कि राज्य सरकार किसी बसाहट में प्राथमिक विद्यालय की सुविधा प्रदान करेगा, यदि उस बसाहट के एक किलोमीटर की परिधि अन्दर किसी प्राथमिक विद्यालय की सुविधा नहीं है और छह से 11 वर्ष आयु वर्ग के कम से कम 40 बच्चे उपलब्ध है। यदि किसी बसाहट में पड़ोस की सीमा के भीतर तीन किलोमीटर की परिधि में उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा नहीं है और 11–14 वर्ष आयु के कम से 12 बच्चे उपलब्ध है तो राज्य सरकार ऐसी बसाहट में माध्यमिक स्कूल की सुविधा उपलब्ध करायेगी।

मार्च 2011, मार्च 2013 और मार्च 2016 के अंत में, बसाहटों में शासकीय प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता **तालिका 3.5** में दर्शित है।

तालिका 3.5: बसाहटों में प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता की स्थिति

(आंकडे संख्या में)

सं. क्र.	विवरण	2010–11	2012–13	2015–16
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कुल बसाहट	95193	95193	95198
प्राथमिक स्तर				
2	प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	82450	83144	83872
3	बसाहट, जहां एक कि.मी. के अंदर प्राथमिक विद्यालय है	94188	94211	94658

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	बसाहट जहां एक कि.मी. के अंदर प्राथमिक विद्यालय नही है	1005	982	540
5	बसाहट, जो राज्य मानदण्डों के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के पात्र है	560	639	0
6	बसाहट जो राज्य मानदण्डों के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के लिए पात्र नहीं है	445	343	540
उच्च प्राथमिक स्तर				
7	उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	28136	29260	30383
8	बसाहट, जहॉ तीन कि.मी. के अंदर उच्च प्राथमिक विद्यालय है।	94035	94544	94912
9	बसाहट, जहॉ तीन कि.मी. के अंदर उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है ।	1158	649	286
10	बसाहट, जो राज्य मानदण्डों के अनुसार पात्र है।	684	256	0
11	बसाहट, जो राज्य मानदण्डों के अनुसार पात्र नहीं है।	474	393	286

(स्त्रोत– राज्य के ए.डब्ल्यू.पी. एण्ड बी. तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन 2016–17)

राज्य सरकार, राज्य में प्रत्येक बसाहटों के लिए पडोस में विद्यालय प्रदान करने में विफल रही।

जैसा कि तालिका 3.5 में वर्णित है, राज्य में, ऐसे 982 बसाहट थी जहॉ मार्च 2013 तक एक किलोमीटर के अंदर प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसी प्रकार 649 बसाहटें पड़ोस में तीन किलोमीटर के भीतर उच्च प्राथमिक विद्यालय के बिना थी। इस प्रकार राज्य सरकार मार्च 2013 तक पड़ोस में विद्यालय स्थापित करने में निर्धारित आर.टी.ई. अधिनियम की समय सीमा हासिल करने में असफल रही।

पड़ोस में विद्यालय स्थापित करने में कमी की स्थिति मार्च 2016 में भी बनी हुई थी एवं एक किलोमीटर के भीतर प्राथमिक विद्यालय के बिना 540 बसाहटें थी और तीन किलोमीटर के भीतर उच्च प्राथमिक विद्यालय के बिना 286 बसाहटें थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य स्तरीय ए.डब्ल्यू.पी. एण्ड बी. तथा जिला स्तरीय ए.डब्ल्यू. पी.एण्ड बी. में प्रतिवेदित बिना विद्यालयों के बसाहटों की संख्या में भिन्नता थी। मार्च 2013 तक नमूना जांच किए गए सात जिलों में, 14,445 बसाहटों में से, 3,661[1] (25 प्रतिशत) बसाहटें प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय सुविधा के बिना थे और मार्च 2016 तक चार जिलों में 340[2] बसाहटों में प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालयीन सुविधा उपलब्ध नहीं थी। नमूना जांच किए गए जिलों में शिक्षा सुविधा रहित बसाहटें, ***परिशिष्ट 3.2*** में वर्णित हैं।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, विभाग ने अधिनियम के कार्यान्वयन के तीन वर्ष के भीतर अपेक्षित मान के अनुसार सभी बसाहटों में विद्यालयीन सुविधा उपलब्ध न कराने का कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया था। तथापि, विभाग ने बताया कि 2015–16 में कुछ बसाहटों में विद्यालयीन सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई थी क्योंकि ये बसाहटें राज्य के मानदण्ड को पूरा नहीं करती थी। विभाग ने आगे बताया कि जिलों से नए

[1] छिंदवाडा (350), दतिया (48), धार (2848), झाबुआ (314), पन्ना (28), रतलाम (7) एवं शहडोल (66)।

[2] छिंदवाडा (269), पन्ना (45), रतलाम (6) एवं शहडोल (20)।

विद्यालयों की मांग कई मामलों में युक्तिसंगत नहीं थी, इसलिए स्वीकार्य नहीं की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 95,198 बसाहटों के विरूद्ध मात्र 83,872 प्राथमिक विद्यालय थे और राज्य सरकार ने न तो उसके द्वारा तय किए गए पड़ोस मानदंडों के कारण शेष 11,326 बसाहटों में विद्यालय स्थापित किए और न ही बिना विद्यालय वाले इन बसाहटों में रहने वाले पहचान किए गए बच्चों की पहुंच के लिए पर्याप्त व्यवस्था की थी, जैसा कि कंडिका 3.3.1 में चर्चा की गयी है।

3.3.1 परिवहन व्यवस्था

एम.पी.आर.टी.ई. नियम के नियम 4(4) के अनुसार राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चिन्हित किए गए छोटे बसाहट (हेमलेट) या किसी अन्य स्थान जहॉ पड़ोस की सीमा के भीतर कोई विद्यालय विद्यमान नहीं है, वहां राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किसी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाऐं की जायेंगी जैसे निःशुल्क परिवहन, आवासीय सुविधा तथा अन्य सुविधाएं।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि राज्य ए.डब्ल्यू.पी.एण्ड बी. ने वर्ष 2011–12 में 8,906 बालकों को, वर्ष 2012–13 में 4,140 बालकों को और 2013–14 में 3267 बच्चों को परिवहन सुविधा प्रदान करना प्रस्तावित किया था। इसके अतिरिक्त, 2014–15 के दौरान 20 जिलों के 786 बसाहटों में 9,971 बच्चें और वर्ष 2015–16 के दौरान 21 जिलों के 826 बसाहटों में 9,535 बच्चे, एम.पी.आर.टी.ई. नियम के अंतर्गत परिवहन सुविधा के लिए पात्र थे। आगे, संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि राज्य सरकार ने पांच जिलों, दमोह, देवास, हरदा, खंडवा और जबलपुर, जहां वर्ष 2012–13 के दौरान 3,740 विद्यार्थियों को परिवहन की सुविधा प्रदान की गई थी को छोड़कर वर्ष 2011–16 के दौरान बालकों के लिए परिवहन की व्यवस्था नहीं की थी।

आगे, नमूना जॉच किए गए किसी भी जिलों में पड़ोस के विद्यालय के बिना वाले बसाहटों में रहने वाले बच्चों को विद्यालय पहुंच प्रदान करने की व्यवस्था नहीं की थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2015–16 के दौरान नमूना जॉच किए गए तीन जिलों (छिंदवाडा, पन्ना और शहडोल) के 334 बसाहटों के 3,929 बच्चे विद्यालय पहुॅचने के लिए परिवहन की व्यवस्था प्रदान न करने के कारण, प्रभावित हुए थे ।

इस प्रकार, राज्य सरकार उन बच्चों जो पड़ोस के विद्यालय से रहित बसाहटों में रह रहे थे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करने में असफल रही।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि ए.डब्ल्यू.पी.एण्ड बी. 2011–12 में परिवहन की सुविधा का प्रस्ताव पी.ए.बी. द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था क्योंकि प्रस्ताव का औचित्य (Justification) अस्पष्ट और जटिल था। तथापि, पी.ए.बी. ने ए.डब्ल्यू.पी.एण्ड बी. 2012–13 में 4,140 बच्चों को परिवहन की सुविधा के लिए ₹ 1.24 करोड़ अनुमोदित किए थे। आगे, ए.डब्ल्यू.पी.एण्ड बी. 2013–14 में पी.ए.बी. ने परिवहन के प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया क्योंकि एम.पी.आर.टी.ई. नियम ने पड़ोस की सीमा/क्षेत्र, जिसमें परिवहन की सुविधा प्रदान की जानी थी, अधिसूचित नहीं की थी। लेखापरीक्षा के सवाल के जवाब में, आर.एस.के. ने सूचित किया (जून 2016) कि पड़ोस की सीमा/क्षेत्र, जिसमें परिवहन की सुविधा प्रदान की जानी थी, के लिए अधिसूचना प्रक्रिया में थी।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि परिवहन की व्यवस्था का प्रस्ताव आवश्यकता के अनुसार तैयार किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने बगैर पड़ोस के विद्यालयों वाले बसाहटों की पहचान की थी किंतु विभाग ने इन पहचान किए गए बसाहटों के बच्चों के लिए

परिवहन की व्यवस्था नहीं की थी जैसा कि एम.पी.आर.टी.ई. नियम के अंतर्गत अपेक्षित था।

3.4 लक्षित जनसंख्या का नामांकन

आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 3(1) प्रावधान करती है कि छह वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक को, प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आस–पास के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। धारा 8 (क)(ii) और 9(ड़) यह विनिर्दिष्ट करती है कि समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी का यह कर्तव्य है कि छह वर्ष से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और उसको पूरा करना सुनिश्चित करें।

परिवार सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में 2010–16 की अवधि के लिए बाल जनसंख्या (6–14 वर्ष आयु समूह) और प्रारंभिक शिक्षा में नामांकन **तालिका 3.6** के अनुसार थी।

तालिका 3.6: लक्षित जनसंख्या की प्रारंभिक विद्यालय नामांकन की स्थिति

(आंकड़े लाख में)

विवरण	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
छह से 14 वर्ष आयु समूह में बाल जनसंख्या	137.11	139.33	138.71	138.31	135.65	131.40
परिवार सर्वेक्षण के अनुसार नामांकन	136.40	138.06	137.97	137.67	134.63	130.80

(स्रोतः आर.एस.के. का ए.डब्ल्यू.पी.एण्डबी.)

विद्यालयों में लक्षित बाल जनसंख्या का सार्वभौमिक नामांकन हासिल नहीं हुआ था।

इस प्रकार, छह से 14 वर्ष के आयु समूह के प्रत्येक बालक का अनिवार्य प्रवेश सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य होने के बावजूद, लक्षित बाल जनसंख्या का सार्वभौमिक प्रारंभिक विद्यालय नामांकन हासिल नहीं हुआ था। आगे, लेखापरीक्षा ने पाया कि परिवार सर्वेक्षण के आधार पर वी.ई.आर./डब्ल्यू.ई.आर. में एकत्रित नामांकन आंकड़े, यू–डाईस द्वारा प्रतिवेदित नामांकन आंकड़ो से मेल नहीं खा रहे थे। वी.ई.आर. में नामांकन, विगत शैक्षणिक वर्ष में नामांकन की स्थिति को इंगित करता है और यू–डाईस चालू वर्षों के कक्षावार नामांकन आंकड़ों को दर्शाता है। यू–डाईस और वी.ई.आर. के नामांकन डाटा में अंतर, **तालिका 3.7, चार्ट 3.2** और **चार्ट 3.3** में वर्णित है।

तालिका 3.7: यू–डाईस और वी.ई.आर. के नामांकन डाटा में अंतर

(विद्यार्थियों की संख्या लाख में)

परिवार सर्वेक्षण वर्ष	राज्य स्तर			नमूना जाँच किए गए जिले		
	वी.ई.आर. के अनुसार विगत वर्षो में नामांकन	यू–डाईस नामांकन	अंतर (प्रतिशत)	वी.ई.आर. के अनुसार, विगत वर्षो में नामांकन	यू–डाईस के अनुसार नामांकन	अंतर (प्रतिशत)
2011–12	138.06	154.24	16.18 (10)	30.19	33.47	3.28 (10)
2012–13	137.97	153.20	15.23 (10)	35.21	37.93	2.72 (7)
2013–14	137.67	150.35	12.68 (8)	34.98	37.2	2.22 (6)
2014–15	134.63	144.95	10.32 (7)	34.3	36.28	1.98 (5)
2015–16	130.80	134.77	3.97 (3)	37.96	38.3	0.34 (1)

(स्त्रोतः आर.एस.के. और डी.पी.सी. द्वारा प्रस्तुत जानकारी एंव ए.डब्ल्यू.पी. एण्ड बी. के अनुसार वी.ई.आर. डाटा)

चार्ट 3.2 राज्य स्तर पर यू–डाईस एवं वी. ई.आर. के अनुसार नामांकन में विसंगतियां	चार्ट 3.3 जिला स्तर पर यू–डाईस एवं वी. ई.आर. के अनुसार नामांकन में विसंगतियां
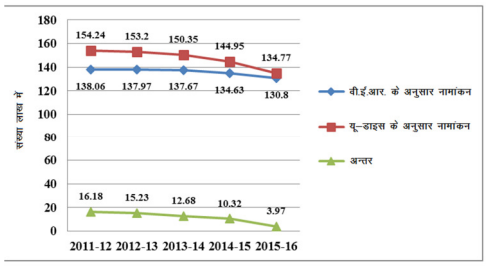	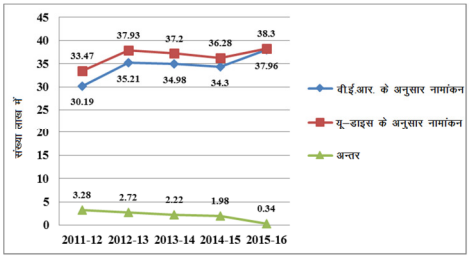

(स्त्रोतः आर.एस.के. और डी.पी.सी. द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं ए.डब्ल्यू.पी. एण्ड बी. के अनुसार वी.ई.आर. डाटा)

जैसा कि तालिका 3.7 से स्पष्ट है कि, राज्य स्तर पर परिवार सर्वेक्षण 2011–12 से 2015–16 की अवधि के दौरान, कक्षा I से VIII के लिए विद्यार्थियों के वी.ई.आर. डाटा और यू–डाईस डाटा के नामांकन आंकडों में अंतर 3.97 लाख से 16.18 लाख के मध्य तक था। यह अंतर, तथापि, 10 प्रतिशत (2011–12) से तीन प्रतिशत (2015–16) तक कम हो गया था।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि यू–डाईस डाटा कक्षावार डाटा था जिसमें छह वर्ष से नीचे और 14 वर्ष के ऊपर के बालक सम्मिलित थे जबकि वी.ई.आर. डाटा छह से 14 वर्ष आयु समूह की जनसंख्या तक सीमित था। वी.ई.आर. डाटा और यू–डाईस डाटा के नामांकन आंकडों की विषमता को समाप्त करने के लिए वी.ई.आर. और यू–डाईस दोनों को डाटा की एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2016–17 में समग्र (SAMAGRA) के साथ एकीकृत कर दिया गया है।

तथ्य यह है कि यू–डाईस एवं परिवार सवेक्षण प्रतिवदन में नामांकन आंकड़ों में अत्यधिक अंतर था इस प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा हेतु संकलित की गई बालकों के नामांकन आंकड़े विश्वसनीय नहीं थे।

3.4.1 नामांकन में गिरावट

2010–11 से 2015–16 के दौरान राज्य स्तर पर यू–डाईस डाटा के अनुसार कक्षा एक से आठ के विद्यार्थियों की नामांकन स्थिति **चार्ट 3.4** में दर्शित है।

चार्ट 3.4 यू–डाईस के अनुसार राज्य स्तर पर नामांकन में गिरावट

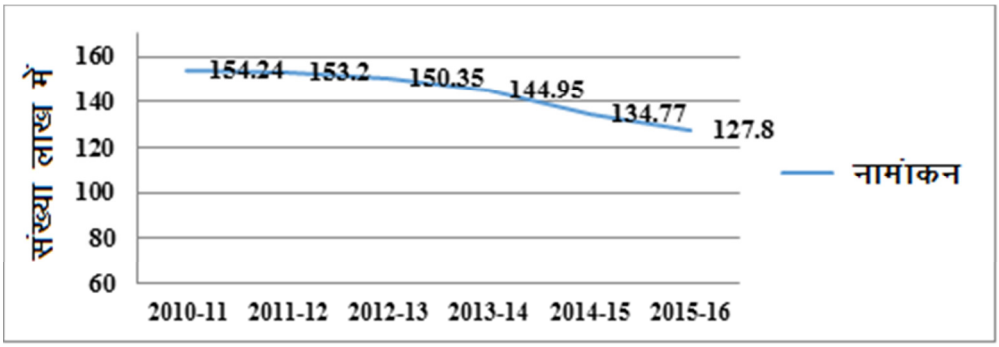

(स्त्रोतः आर.एस.के. द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

वर्ष 2010–11 से 2015–16 के दौरान, प्रारम्भिक शिक्षा में विद्यार्थियों का नामांकन लगातार कम हुआ। तथापि, 2013–14 से 2015–16 की अवधि के दौरान सात लाख से दस लाख प्रतिवर्ष की अत्यधिक गिरावट थी। विभाग ने नामांकन में कमी का कारण,

शून्य से छह वर्ष आयु–समूह में बाल जनसंख्या के घटते ट्रेंड, बच्चों का पलायन और बच्चों के ड्रॉप आउट को बताया।

अभिलेखों के संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि आर.एस.के. ने जिलाधीशों को नामांकन में आई गिरावट के कारणों का आकलन करने के लिए निर्देशित (अक्टूबर 2015 और फरवरी 2016) किया था। तद्नुसार वर्ष 2013–14 से 2014–15 के दौरान 21 जिलों ने 6.94 लाख विद्यार्थियों के नामांकन में, दोहरे और फर्जी नामांकन विशेष तौर पर निजी विद्यालयों में, यू–डाईस में गलत प्रविष्टि, विद्यार्थियों के दोहरीकरण और परिवार के साथ पलायन इत्यादि के कारण गिरावट प्रतिवेदित की गयी थी। रामा ब्लॉक, झाबुआ के नमूना जॉच किए गए पॉच विद्यालयों में, (प्रा.वि. कोकावाड़, नवापाड़ा, गोपालपुरा और भूतखेड़ी और जी.एम.एस.कालीदेवी) डी.पी.सी. की जॉच रिपोर्ट में, विद्यार्थियों के दोहरे नामांकन के 14 मामले प्रतिवेदित किए गए थे। इसने इंगित किया कि यू–डाईस डाटा विश्वसनीय नहीं था।

इस प्रकार, सरकार के साथ–साथ निजी विद्यालयों द्वारा प्रतिवेदित नामांकन को यू–डाईस में शामिल करने से पहले सत्यापित नहीं किया गया था। निजी विद्यालयों मे फर्जी नामांकन का पता चलने से यह इंगित हुआ कि इन विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने/मान्यता को नवीकरण से पहले अपेक्षित निरीक्षण उपयुक्त रूप से नहीं किया गया था। फर्जी नामांकन के संदर्भ में आर.एस.के. ने सूचित (मई 2017) किया कि जिलों को, नामांकन में आई कमी का विद्यालयवार कारणो की वास्तविक जानकारी प्रदान करने के लिए पुनः निर्देशित किया गया था और फर्जी नामाकनों पर कार्रवाई, विद्यालयवार जानकारी की प्राप्ति के बाद की जाएगी।

सर्व शिक्षा अभियान में विभिन्न क्रियाकलापों यथा अतिरिक्त कक्षों का निर्माण, प्रधान अध्यापक का कक्ष, गणवेश, निःशुल्क पाठ्य–पुस्तके, अतिथि शिक्षकों, प्रधान अध्यापकों तथा अतिरिक्त शिक्षकों का परिनियोजन के वित्तीय लक्ष्य/लागत विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया गया था। राज्य सरकार ने भारत सरकार से लक्ष्य के विरूद्ध निधिया प्राप्त की थी, जो कि दोहरे/फर्जी नामांकनों के कारण बढ गई थी। इसके अतिरिक्त, इसने संसाधनों के संवर्धन योजना, जैसे कि विद्यालय में कक्षा एंव शिक्षक, को प्रभावित किया था।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि दोहरे एवं फर्जी नामांकन से बचने के लिए राज्य ने सभी परिवार एंव बच्चों को यूनिक समग्र आई.डी. आवंटित करने का कार्य किया था। फर्जी नामांकनों का विशेषकर निजी विद्यालयों में पता लगाया गया और उन दोहरे नामांकनों को हटा दिया गया था। भारत सरकार ने यू–डाईस में प्रतिवेदित वास्तविक नामांकन के आधार पर स्वीकृति प्रदान की थी। तद्नुसार व्यय किए गए थे और प्रोत्साहन यथा निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक, गणवेश इत्यादि शासकीय विद्यालयों में वास्तविक रूप में नामांकित बच्चों के आधार पर दिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासकीय और निजी विद्यालयों में नामांकित 11 प्रतिशत विद्यार्थियों के पास समग्र आई.डी. नहीं थी। इस प्रकार, विद्यार्थियों के साथ समग्र आई. डी. को जोडने की प्रकिया पूर्ण रूप से हासिल नहीं हुई थी। आगे, जैसा कि कंडिका 3.2 में विवेचित है, एम.पी.आर.टी.ई. नियम के नियम 6(1) के अंतर्गत, प्रत्येक बच्चे को उनके नामांकन, मूल्यांकन और अध्ययन उपलब्धि निगरानी के लिए यूनिक संख्या आवंटित करना स्थानीय प्राधिकारियों से अपेक्षित था, जिसका अनुपालन नहीं किया गया था।

3.5 शासकीय एंव निजी क्षेत्र के विद्यालयों में नामांकन

मार्च 2016 को राज्य में राज्य के शासकीय विद्यालयों एवं निजी क्षेत्रों द्वारा संचालित विद्यालयों में नामांकन की स्थिति **तालिका 3.8** में वर्णित है।

तालिका 3.8: राज्य के शासकीय विद्यालय एवं निजी विद्यालयों में नामांकन

(आंकडे संख्या में)

विद्यालय प्रबंधन	विद्यालयों की संख्या	नामांकन (लाख में)
राज्य शासकीय विद्यालय	1,14,255	78.96
निजी क्षेत्र विद्यालय	26,446	46.87
अन्य प्रबंधनों में विद्यालय (केन्द्रीय विद्यालय, *मदरसा* आदि)	1,880	1.97
योग	**1,42,581**	**127.80**

(स्रोतः यू–डाईस आंकड़े)

यद्यपि, शासकीय विद्यालयों की संख्या, संपूर्ण विद्यालयों का 80 प्रतिशत था, मात्र 62 प्रतिशत बच्चे इन विद्यालयों में नामांकित थे। मार्च 2016 को राज्य में, निजी क्षेत्र विद्यालयों में नामांकन, प्रारंभिक शिक्षा में संपूर्ण नामांकन का 37 प्रतिशत था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि राज्य शासकीय विद्यालयों में नामांकन में 105.30 लाख से 78.96 लाख की गिरावट 2010–11 से 2015–16 तक थी। 2010–11 से 2015–16 के दौरान राज्य के शासकीय, निजी एंव अन्य प्रबंधन विद्यालयों में नामांकन का प्रवाह **चार्ट 3.5** में दर्शित है।

चार्ट 3.5: राज्य शासन, निजी एवं अन्य प्रबंधन विद्यालयों में कक्षा I से VIII तक में नामांकन की तुलना

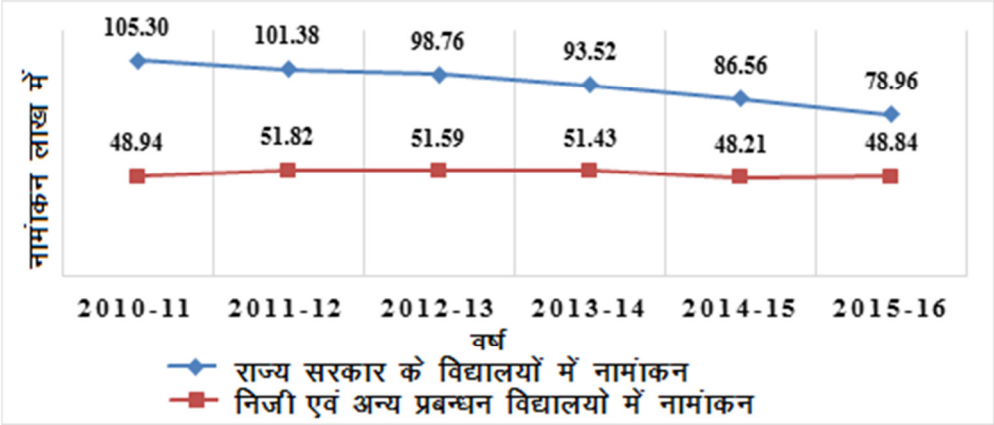

(स्त्रोतः आर.एस.के. द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

राज्य के शासकीय विद्यालयों में, नामांकित बालकों के लिये विभिन्न प्रोत्साहन के बावजूद भी लोगों ने अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में भेजना पसंद किया।

इस प्रकार, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य शासकीय विद्यालयों में निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण, मध्यान्ह भोजन का प्रदाय एंव गणवेश प्रदान करने के बावजूद भी, लोगो ने अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में भेजना पसंद किया। राज्य के शासकीय विद्यालयों में कम नामांकन का कारण इन विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की कमी और शिक्षकों की अपर्याप्त संख्या को ठहराया जा सकता था, जैसा कि उत्तरवर्ती अध्यायों में विवेचित है।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि निजी विद्यालयों में प्रवेश माता–पिता का निर्णय था। यह कहना उचित नहीं था कि नामांकन में कमी शासकीय विद्यालयों की निम्न गुणवत्ता के कारण थी। अन्य कारण, माता पिता की अंग्रेजी माध्यम में रूचि और निजी विद्यालयों में पूर्व विद्यालयीन सुविधा थे। निजी विद्यालयों में विद्यार्थी, आर.टी.ई. के अंतर्गत 25 प्रतिशत आरक्षण कोटा के तहत भी प्रवेश हुये थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासकीय विद्यालयों की तुलना में निजी विद्यालयों में नामांकन का बढता प्रवाह था। आगे, शासकीय विद्यालयों में ड्रॉपआउट की दर निजी क्षेत्र विद्यालयों की तुलना में कहीं ज्यादा थी। राज्य में, बढ़ते वर्षो में, 'ए' श्रेणी के शासकीय विद्यालयों की संख्या कम हुई थी, जैसा कि कंडिका 5.7 में विवेचित है। इनसे, शासकीय विद्यालयों में, संतोषजनक गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में स्कूल शिक्षा विभाग की विफलता जाहिर हुई।

3.6 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रतिधारण और ट्रांजिशन

आर.टी.ई. अधिनिमय के अंतर्गत, समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों से अपेक्षित था कि वे प्रत्येक बालक की उपस्थिति एवं प्रांरभिक शिक्षा की पूर्ण होने की निगरानी सुनिश्चित करें। 2010–11 से 2015–16 के दौरान राज्य में सभी प्रबंधन विद्यालयों में कक्षावार नामांकन की स्थिति **तालिका 3.9** में दर्शाई गयी है।

तालिका 3.9: राज्य में प्रारंभिक शिक्षा में कक्षावार नामांकन

(विद्यार्थियों की संख्या लाख में)

वर्ष	कक्षा								कुल नामांकन	वर्षवार ड्रॉपआउट
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII		
2010–11	23.38	22.30	21.14	20.44	19.32	17.13	16.17	14.36	154.24	
2011–12	20.45	21.85	21.55	20.42	19.71	17.38	16.36	15.48	153.20	7.13[3]
2012–13	20.51	18.99	20.55	20.22	19.24	17.87	16.97	16.00	150.35	7.88
2013–14	19.27	19.09	18.11	19.42	19.14	17.19	16.77	15.96	144.95	8.67
2014–15	17.52	17.20	17.48	16.59	17.83	16.61	15.95	15.59	134.77	11.74
2015–16	16.06	16.28	16.28	16.55	15.77	15.94	15.82	15.10	127.80	7.44

(स्त्रोतः आर.एस.के. द्वारा प्रस्तुत सूचना)

तलिका 3.9 से स्पष्ट है कि 2011–16 के दौरान राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा से कुल 42.86 लाख बालक ड्रापआउट हुये थे इसमें निजी क्षेत्र एवं अन्य प्रबंधन विद्यालयों के 14.05 लाख तथा राज्य के शासकीय विद्यालयों के 28.81 लाख ड्रापआउट बालक शामिल थे। 2010–16 के दौरान प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पुनरावृत्ति, प्रतिधारण और प्रोन्नति दर **चार्ट 3.6** और **3.7** में दर्शित है ।

[3] (2010–11 के कुल नामांकन +2011–12 में कक्षा I में नामांकन)–(2010–11 में कक्षा VIII में नामांकन+2011–12 में कुल नामांकन)।

चार्ट 3.6: प्राथमिक विद्यालयों में प्रतिधारण, पुनरावृत्ति एवं प्रोन्नति की स्थिति

प्राथमिक स्तर पर बडी संख्या में ड्रॉप आउट और प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर पर ट्रांजिशन हानि के कारण, राज्य प्रारंभिक शिक्षा में सार्वभौमिक प्रतिधारण को हासिल नही कर सका।

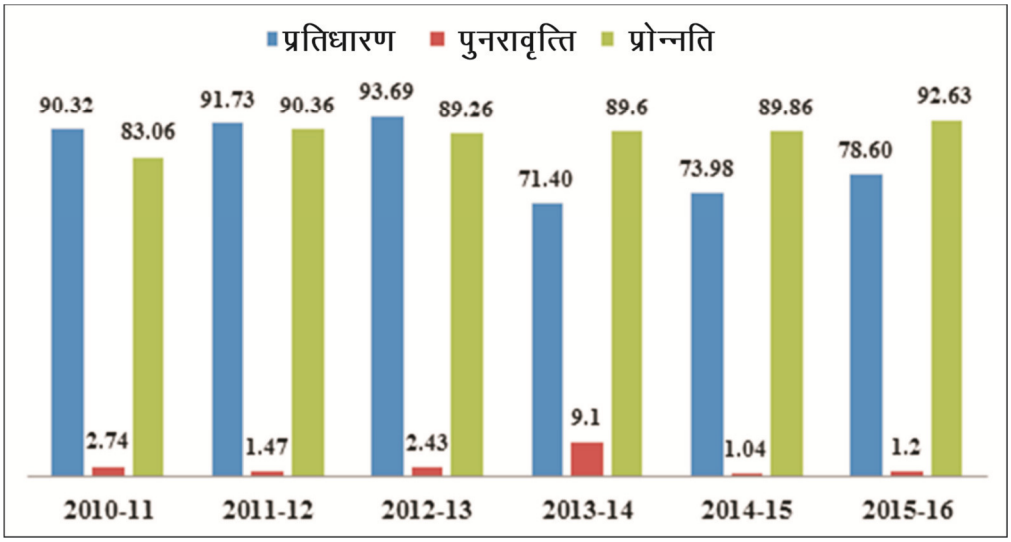

(स्त्रोतः आर.एस.के. का ए.डब्लू.पी. एण्ड बी.)

चार्ट 3.7: उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रतिधारण, पुनरावृत्ति एवं प्रोन्नति की स्थिति

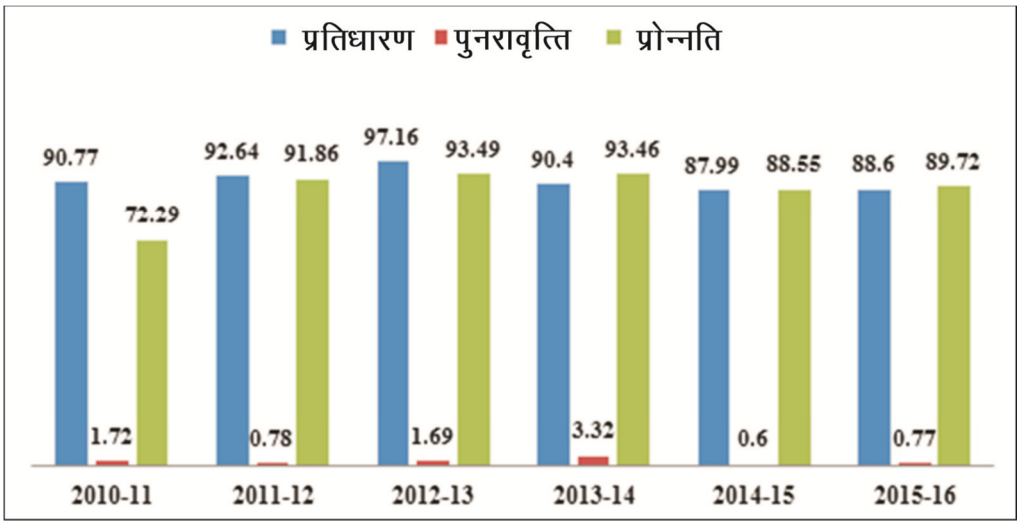

(स्त्रोतः आर.एस.के. का ए.डब्लू.पी. एण्ड बी.)

इस प्रकार, उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रतिधारण, प्राथमिक स्तर से बेहतर था। वर्ष 2010–16 के दौरान, कक्षा I से V में बच्चों का प्रतिधारण 71.40 प्रतिशत से 93.69 प्रतिशत के मध्य था और कक्षा VI से VIII में यह प्रतिधारण 87.99 प्रतिशत से 97.16 प्रतिशत के मध्य था। आगे, 2010–16 के दौरान, राज्य में 10.25 लाख बालकों ने प्राथमिक स्तर (कक्षा V) के बाद विद्यालय छोड दिया, जबकि 4.09 लाख बच्चों ने कक्षा VII के बाद कक्षा VIII में नामांकन किए बिना विद्यालय छोड दिया था। 2011–16 के दौरान, राज्य में प्रारंभिक शिक्षा में बालकों का वर्षवार ड्रॉपआउट 7.13 लाख और 11.74 लाख के मध्य था। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर बालकों का ड्रॉपआउट और प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों का ट्रांजिशन हानि **चार्ट 3.8** के अनुरूप था।

चार्ट 3.8 राज्य में प्राथमिक शिक्षा से बालकों का ड्रापआउट

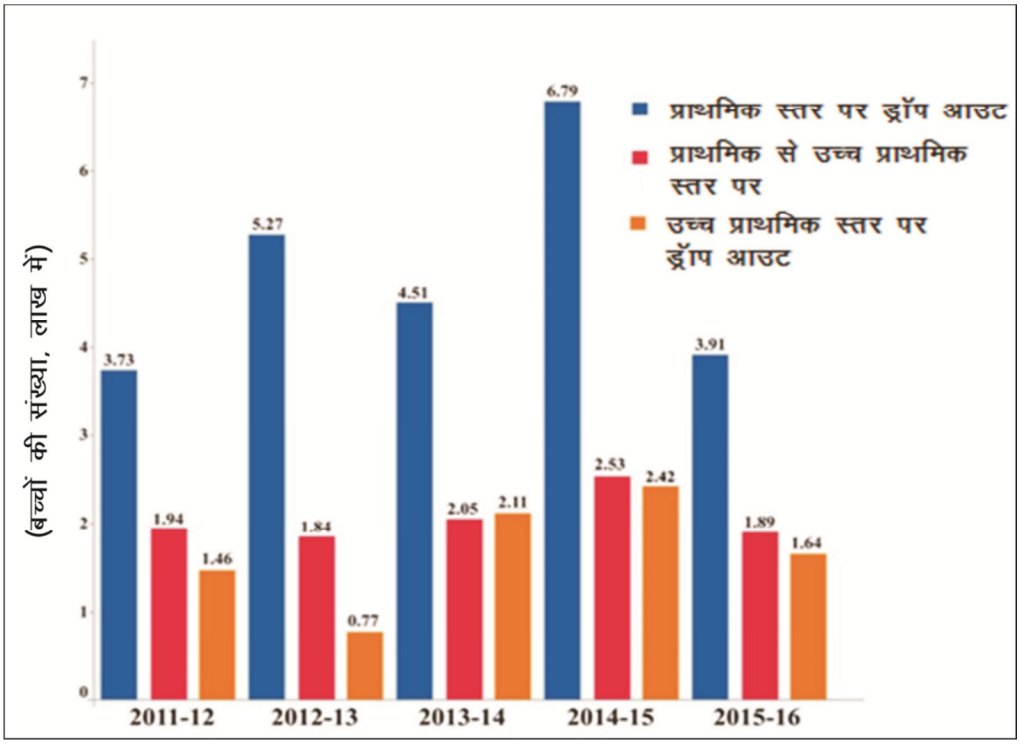

(स्त्रोतः आर.एस.के. द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

प्राथमिक स्तर (कक्षा V) से उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा VI) ट्रांजिशन स्तर, पर बालकों का ड्रॉपआउट राज्य शासकीय विद्यालयों में, निजी और अन्य प्रबंधन विद्यालयों की तुलना में अधिक था, जैसा कि **चार्ट 3.9** में दर्शित है ।

चार्ट 3.9 प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर पर ट्रांजिशन का प्रतिशत

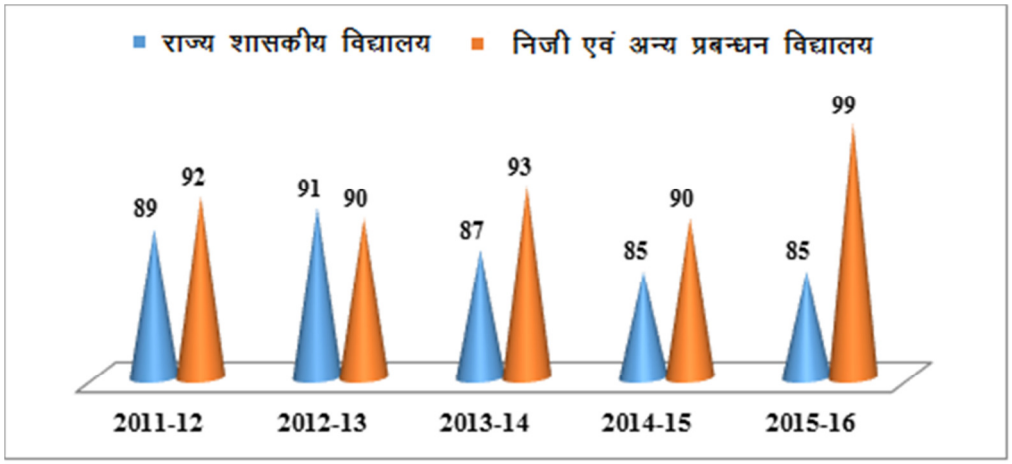

लेखापरीक्षा ने पाया कि जिला स्तर पर शासकीय प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में छह से 14 वर्ष आयु वर्ग में नामांकित विशिष्ट प्रत्येक व्यक्तिगत बालक की उपस्थिति और प्रगति निगरानी नहीं की गई थी। इस प्रकार, ड्रॉपआउट की स्थिति से निपटने के लिए विभाग की तरफ से अपर्याप्त प्रयास किए गए थे। राज्य सरकार ने जन शिक्षक को उपस्थिति प्राधिकारी के रूप में नामांकित (दिसंबर 2013) किया था, जो कि सभी विद्यार्थियों की उनके बसाहट में नामांकन, उनकी उपस्थिति, और गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता के लिए उत्तरदायी था। लेखापरीक्षा ने स्वीकृत पदों के

विरूद्व जन शिक्षकेां की संख्या में कमी पाई, जिसके कारण उपस्थिति का अपर्याप्त निगरानी हुई, जैसा कि कंडिका 7.5 में विवेचित है।

आगे, आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 16 विद्यार्थियों को किसी कक्षा में रोके जाने का निषेध करती है और नो डिटन्शन पॉलिसी का प्रावधान करती है। तथापि, राज्य स्तर पर सभी विद्यालयों के यू–डाईस डाटा के विश्लेषण से 2010–16 के दौरान कक्षा एक से पॉच में 16.10 लाख विद्यार्थियों और कक्षा छः से आठ में 5.10 लाख विद्यार्थियों की पुनरावृत्ति/रोका जाना परिलक्षित हुआ।

नमूना जांच किए गए जिलों में 2010–16 के दौरान कक्षा एक से पॉच में प्रतिधारण का प्रतिशत 53 से 100 प्रतिशत के मध्य और कक्षा छः से आठ में 58 से 100 प्रतिशत के मध्य था। प्राथमिक स्तर (कक्षा V) से उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा VI) पर विद्यार्थियों का ट्रांजिशन दर 68 से 100 प्रतिशत था। जिला बुरहानपुर, धार, झाबुआ और मुरैना में, प्राथमिक विद्यालय स्तर पर प्रतिधारण दर राज्य औसत से कम थी। इसी प्रकार, जिला बुरहानपुर, दतिया, धार, मुरैना और पन्ना का उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रतिधारण दर राज्य औसत से कम था। 2015–16 के दौरान छह जिलों भोपाल, बुरहानपुर, दतिया, धार, झाबुआ और रतलाम में, प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर की ट्रांजिशन दर, राज्य स्तर पर औसत ट्रांजिशन दर से नीचे थी।

नमूना जांच किए गए जिलों के राज्य शासकीय विद्यालयों में यह पाया गया कि :

- 2010–16 के दौरान प्रतिधारण दर, प्राथमिक स्तर पर 50 से 100 प्रतिशत और उच्च प्राथमिक स्तर पर 80 से 100 प्रतिशत था। प्राथमिक कक्षाओं से उच्च प्राथमिक कक्षाओं तक ट्रांजिशन दर 67 से 100 प्रतिशत था। नमूना जॉच किए गए नौ[4] जिलों में, 2010–16 के दौरान प्रवेशित 103.16 लाख विद्यार्थियों में से 5.69 लाख (छह प्रतिशत) विद्यार्थियों ने उनकी पढ़ाई विद्यालय के आखिरी कार्य दिवस तक जारी नहीं रखी थी। ड्रॉपआउट का प्रतिशत चार से सात प्रतिशत था।

- 2010–16 के दौरान नमूना जांच किए गए 390 में से 140 विद्यालयों में 3.11 लाख विद्यार्थियों में से 6,136 विद्यार्थियों ने शैक्षणिक सत्र के दौरान ड्रॉप आउट हुये थे। डी.पी.सी. ने निम्न प्रतिधारण का कारण बच्चों का उनके माता–पिता के साथ पलायन को ठहराया, जिन्होंने काम की तलाश में उनके घरों को छोडकर अन्य स्थानों पर चले गए थे।

- नमूना जांच किए गए 12 जिलों में हमने पाया कि, 2010–16 के दौरान विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति का औसत प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में 54 से 95 था और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 58 से 97 था। चार जिलों मुरैना, पन्ना, रतलाम और सिंगरौली में उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम थी। नमूना जांच किए गए 94 शासकीय विद्यालयों और सात अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों में, दैनिक उपस्थिति का औसत प्रतिशत 75 प्रतिशत से कम था।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, विभाग ने उच्च कक्षाओं में नामांकन में आई कमी का कारण निजी विद्यालयों में फर्जी नामांकन और बालकों का उनके माता–पिता के साथ अन्य राज्यों में पलायन को बताया। आगे, यह बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा आवंटित समग्र आई.डी. प्रत्येक बच्चे के लिए यूनिक आई.डी. था और वर्ष 2013–14 से उसका प्रयोग सभी विभागों के विभिन्न कल्याण योजनाओं के अंतर्गत निगरानी, योजना एवं लाभ अंतरण के लिये किया जा रहा था। इस आई.डी. के आने

[4] बालाघाट, बुरहानपुर, छिंदवाडा, दतिया, धार, झाबुआ, मुरैना, शहडोल और सिंगरौली।

से, किसी बच्चे का नकली नामांकन शासकीय और निजी विद्यालयों दोनेा में से सुधार कर दिया गया था। विभाग ने आगे बताया कि बच्चों के ड्रॉप आउट के मामले ऑनलाइन निगरानी किए गए थे और पहचान किए गए ड्रॉप आउट बच्चों को मुख्यधारा में लाया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परिवार सर्वेक्षण में विद्यालय से बाहर बच्चों के होने का कारणों जैसे, कृषि मजदूरी के लिए खेतों में काम करना या अन्य मजदूरी कार्य, भाई–बहनों की देखभाल, पशुओं को चराना, दुर्बल वित्तीय स्थिति, पलायन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कमी इत्यादि थे। प्राथमिक विद्यालय को उच्च विद्यालय में उन्नयन करने के मानदंडों की समीक्षा के साथ इन मामलों के प्रति ध्यान देना राज्य सरकार से अपेक्षित था। शासकीय विद्यालयों में अपर्याप्त प्रतिधारण विद्यालय में अपर्याप्त शिक्षकों की संख्या और आधारभूत आवश्यकताओं की कमी के कारण भी था। आगे, जिला स्तर पर निगरानी में कमी और जनशिक्षकों की अपर्याप्त संख्या के कारण, राज्य के शासकीय विद्यालयों में प्रतिधारण और ट्रांजिशन में सुधार नहीं किया जा सका।

इस प्रकार राज्य, प्राथमिक स्तर पर बालकों के बड़ी संख्या में ड्रॉप आउट और प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शिफ्टिंग के दौरान हुई बडी मात्रा में ट्रांजिशन हानि के कारण, प्रारंभिक शिक्षा में सार्वभौमिक प्रतिधारण हासिल नहीं कर सका।

3.7 विद्यालय से बाहर बच्चे (Out of School Children) एवं उनको मुख्य धारा में लाना

राज्य स्तर पर परिवार सर्वेक्षण के अनुसार 2010–16 की अवधि के लिए बच्चों की जनसंख्या (6–14 वर्ष आयु समूह) एवं विद्यालय से बाहर बच्चे (ओ.ओ.एस.सी.)[5] की संख्या तालिका 3.10 में दी गई ।

तालिका 3.10: बच्चों की जनसंख्या एवं विद्यालय से बाहर बच्चों की स्थिति

(आंकड़े लाख में)

विवरण	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
6–14 वर्ष के आयु समूह में बच्चों की जनसंख्या	137.11	139.33	138.71	138.31	135.65	131.40
विद्यालय से बाहर बच्चे (बच्चो की जनसंख्या का प्रतिशत)	0.71(0.52)	1.27(0.91)	0.74(0.53)	0.64(0.46)	1.02(0.75)	0.60(0.46)
ड्रॉप आउट(ओ.ओ.एस. सी. का प्रतिशत)	0.26(37)	0.71(56)	0.25(34)	0.21(33)	0.21(21)	0.09(15)
विद्यालय अप्रवेशित बच्चे (ओ.ओ.एस.सी.का प्रतिशत)	0.45(63)	0.56(44)	0.49(66)	0.43(67)	0.81(79)	0.51(85)

(स्रोतः आर.एस.के. की ए.डब्ल्यू.पी.एण्ड बी.)

विद्यालय से बाहर बच्चों के डाटा विश्वसनीय नहीं थे।

वर्ष 2010–11 से 2015–16 के दौरान राज्य में ओ.ओ.एस.सी., 6–14 वर्ष के आयु समूह में बच्चों की जनसंख्या के 0.46 से 0.91 प्रतिशत के मध्य थे। मार्च 2016 को राज्य में

[5] विद्यालय से बाहर बच्चों में विद्यालय में अप्रवेशित एवं ड्रॉप आउट विद्यार्थी सम्मिलित है ।

60,124 ओ.ओ.एस.सी. थे। 2010–11 से 2015–16 के दौरान ओ.ओ.एस.सी. में से ड्राप आउट विद्यार्थियों एंव विद्यालय मे अप्रेविशित बच्चों का प्रतिशत कमशः 15 प्रतिशत से 56 प्रतिशत के मध्य तथा 44 प्रतिशत से 85 प्रतिशत के मध्य था।

इसी प्रकार, नमूना जांच किए गए जिलों के परिवार सर्वेक्षण के अनुसार, 2010–11 से 2015–16 के दौरान बच्चों की जनसंख्या के संदर्भ में ओ.ओ.एस.सी. का प्रतिशत 0.03 एवं 4.70 प्रतिशत के मध्य था। तीन नमूना जांच किए गए जिलों बुरहानपुर, धार एंव झाबुआ में वर्ष 2015–16 में ओ.ओ.एस.सी. का प्रतिशत राज्य के औसत से अधिक था।

तथापि ओ.ओ.एस.सी. का आंकड़े विश्वसनीय नहीं था क्योंकि 2011–16 के दौरान राज्य में प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक स्तर से बच्चों का ड्रॉप आउट 7.13 लाख से 11.74 लाख के मध्य था। इसके अतिरिक्त, नेशनल सेम्पल सर्वे ऑन एस्टीमेंशन ऑफ ओ.ओ. एस.सी. रिपोर्ट (सितम्बर 2014) ने राज्य में 4.51 लाख ओ.ओ.एस.सी. प्रतिवेदित किए जिसमें 1.04 लाख बच्चे नगरीय क्षेत्रों के एवं 3.47 लाख बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों के थे। ओ. ओ.एस.सी. के आंकडों में विसंगति से दर्शित होता है कि परिवार सर्वेक्षण ने सम्पूर्ण जनसंख्या को शामिल नहीं किया था। आगे, यह भी देखा गया कि परिवार सर्वेक्षण के लिए आदेशों में किसी विशेष सर्वेक्षण दल के लिए ग्राम या वार्ड के भीतर क्षेत्र का सीमांकन का उल्लेख नहीं था जिससे परिवार के कवरेज में अंतराल हो सकता था ।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि विभाग ने पात्र बच्चे, जिन्हें आवश्यक रूप से नामांकित किया जाना चाहिए, के बारे में जानने के लिए प्रत्येक वर्ष सर्वेक्षण किया था। वर्ष 2016–17 में, लक्ष्य आयु समूह में सभी बच्चों जिसमें नामांकित बच्चे एवं ओ.ओ.एस.सी. दोनों शामिल थे, के प्रभावी निगरानी हेतु समग्र/व्ही. ई.आर/यू–डाईस को एकीकृत किया गया था। विभाग ने यह भी बताया कि विभाग ने परिवार सर्वेक्षण के सुदृढ़ीकरण के लिए कदम उठाए थे जिसमें ओ.ओ.एस.सी. के प्रत्येक बच्चे का पता लगाना सम्मिलित था। परिणामस्वरूप, ओ.ओ.एस.सी. के नामवार डाटा शिक्षा पोर्टल पर उपलब्ध थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ओ.ओ.एस.सी. आंकड़ों में अत्यधिक विसंगतियां दर्शाती है कि परिवार सर्वेक्षण में छह से 14 वर्ष के सम्पूर्ण बच्चों की जनसंख्या शामिल नहीं थी। यू–डाईस एंव व्ही.ई.आर. डाटा में विसंगति के कारण नामांकन आंकड़ें विश्वसनीय नहीं थे। आगे, आर.टी.ई. अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए सवेक्षण अंतर्गत कमजोर वर्ग के बच्चे (Vulnerable categories of children) शामिल नहीं किए जा रहे थे।

3.7.1 पहचान किए गए विद्यालय से बाहर बच्चे (Out of School Children) को मुख्यधारा में लाना

प्रशिक्षण कार्यकमों के विलंब से व्यवस्था के कारण सभी पहचान किए गए विद्यालय से बाहर बच्चे (ओ. ओ.एस.सी.) को मुख्यधारा में नहीं लाया जा सका।

आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 4 विनिर्दिष्ट करती है जहां छह वर्ष से अधिक की आयु के किसी बच्चे को किसी विद्यालय में प्रवेश नही दिया गया है या प्रवेश दिया गया है किंतु उसने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी नहीं की है, तो उसे उसकी आयु के अनुसार समुचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। वहां उसे अन्य बालकों के समान होने के लिए ऐसी रीति में और ऐसी समय सीमा के भीतर जो विहित की जाए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा। एम.पी. आर.टी.ई. नियम का नियम 3 विनिर्दिष्ट करता है कि स्थानीय प्राधिकारी के मार्गदर्शन के अधीन विद्यालय प्रबंधन समति विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करेगी। प्रशिक्षण की अवधि कम से कम तीन माह एवं अधिकतम दो वर्षो से अधिक नही होगी ।

2011–12 से 2015–16 की अवधि के दौरान राज्य स्तर पर ओ.ओ.एस.सी. के प्रशिक्षण की स्थिति ***परिशिष्ट 3.3*** में दर्शाई गई है जो कि **तालिका 3.11** में सारांशीकृत की गई है ।

तलिका 3.11: ओ.ओ.एस.सी. की स्थिति, प्रशिक्षण का लक्ष्य एंव मुख्यधारा में लाए गए बच्चे

(आंकड़े संख्या में)

वर्ष	विगत वर्षों में पहचान किए गए ओ.ओ.एस.सी	पी.ए.बी. द्वारा अनुमोदित लक्ष्य	राज्य द्वारा स्वीकृत लक्ष्य	प्रशिक्षण में नामांकन	मुख्य धारा में लाए गए बच्चे
2011–12	70,486	73,379	65,322	55,449	39,409
2012–13	1,26,485	1,21,465	1,21,465	1,83,982	1,01,524
2013–14	74,415	47,682	47,682	42,864	34,199
2014–15	63,587	39,262	39,262	33,484	25,805
2015–16	1,01,234	39,245	39,245	21,573	18,507

(स्रोतः ए.डब्ल्यू.पी.एण्ड बी. एंव आर.एस.के. द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

जैसा कि तालिका 3.11 से स्पष्ट है कि ओ.ओ.एस.सी. के प्रशिक्षण के लिए निर्धारित लक्ष्य, पहचान किए गए ओ.ओ.एस.सी. की संख्या से कम थे। पहचान किए गए विद्यालय से बाहर बच्चे (ओ.ओ.एस.सी.) के विरूद्ध प्रशिक्षण के लिए लक्ष्य में क्रमशः 2011–12 में 5,164 बच्चे, 2012–13 में 5,020, 2013–14 में 26,733 एंव 2014–15 में 24,325 तथा 2015–16 में 61,989 बच्चे सम्मिलित नहीं थे। आर.एस.के. ने सूचित किया (जुलाई 2016) कि पलायन वाले परिवारो में बच्चों के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। 2011–12 एंव 2013–16 के दौरान प्रशिक्षण के लिए नामांकित बच्चों की संख्या लक्षित ओ.ओ.एस.सी. से कम थी। तथापि, 18 प्रतिशत (2015–16) से 80 प्रतिशत (2012–13) ओ.ओ.एस.सी. मुख्यधारा में लाए गए थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बच्चों के पहचाने जाने के बाद प्रशिक्षण कार्यक्रम विलंब से आयोजित किए गए थे। सर्वेक्षण में चिन्हित किये गये बच्चों का प्रशिक्षण लगभग नौ माह के बाद पी.ए.बी. द्वारा प्रशिक्षण के लक्ष्य के अनुमोदन के पश्चात लक्षित किये गये थे। तथापि, विभाग के पास ओ.ओ.एस.सी. के पता लगाने के तंत्र की कमी थी। परिणामस्वरूप, प्रशिक्षण के लिए नामांकित विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित लक्ष्य से कम थी।

13 नमूना जांच किए गए जिलों में, 2010–16 के दौरान पहचाने गए 1.15 लाख ओ.ओ. एस.सी. में से 0.36 लाख बच्चों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। तथापि, प्रशिक्षण के पश्चात बच्चों के मूल्यांकन एंव विद्यालय जहॉ उन्हें आयु समुचित कक्षाओं में प्रवेश दिया गया था, का विवरण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार, ओ.ओ. एस.सी. के नामांकन एंव उनके प्रारम्भिक शिक्षा में निरंतरता की स्थिति का डी.पी.सी. द्वारा निगरानी नहीं की गई थी। ओ.ओ.एस.सी. के जिलेवार स्थिति, उनके प्रशिक्षण तथा विद्यालयों में मुख्यधारा में लाने का विवरण ***परिशिष्ट 3.4*** में दिया गया है। आगे संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि 2013–15 के दौरान आठ[6] जिलों एंव 2010–12 के दौरान चार[7] जिलों में कोई भी बच्चा मुख्यधारा में नही लाया गया था।

3.7.2 पलायन वाले परिवारों के विद्यालय से बाहर के बच्चों के लिए छात्रावास

ए.डब्ल्यू.पी.एण्ड बी. 2011–12 में पी.ए.बी. ने सेंडिग एरिया (Sending areas) की व्यवस्थित मेपिंग विकसित करने एंव पलायन बच्चों पर अंतरा–जिला एंव अंतर–जिला जानकारी शेयर करने के लिए तंत्र की स्थापना हेतु सुझाव दिया था। आगे ए.डब्ल्यू.पी.

[6] बालाघाट, भोपाल, बुरहानपुर, दतिया, झाबुआ, इंदौर, रतलाम, और शहडोल।

[7] बालाघाट, बुरहानपुर, दतिया और धार।

एण्ड बी. 2012–13 में, पी.ए.बी. ने बच्चे अपने परिवार के साथ पलायन न करें यह सुनिश्चित करने के लिए सीजनलपलायन की प्रवृत्ति वाले क्षेत्रों की मेपिंग करवाने एवं इंटेंसिव एडवोकेसी प्रोग्राम आयोजित करने हेतु कहा ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि नमूना जांच किए गए जिलों में अधिक पलायन वाले क्षेत्रों की पहचान नहीं की गई थी। डी.पी.सी. ने बताया कि बच्चों का अपने माता–पिता के साथ पलायन होना विद्यालय की जानकारी में नहीं था एवं उपलब्ध बच्चे प्रशिक्षण में शामिल किए गए थे। मुख्यधारा में कमी आने का कारण बच्चों का अपने माता–पिता के साथ पलायन होना था। डी.पी.सी. ने यह भी बताया कि बच्चों की अनुपस्थिति उनके माता–पिता द्वारा सूचित नही की गई थी एवं ओ.ओ.एस.सी. को मुख्यधारा में लाने के लिए प्रयास किए जा रहे थे ।

आर.एस.के. ने सूचित किया कि (जुलाई 2016) कि 2014–15 में 95 माइग्रेटरी छात्रावास संचालित थें। 2015–16 में पलायन रोकने के लिए 109 माइग्रेटरी छात्रावास तीन माह के लिए एंव 587 माइग्रेटरी छात्रावास छः माह के लिये संचालित थे। माइग्रेटरी छात्रावास खोलने का उददेश्य पलायन वाले परिवारों से संबंधित बच्चों को प्रवेश देकर उनके प्रतिधारण तथा उपस्थिति में वृद्वि को सुनिश्चित करना था ।

2011–16 के दौरान पलायन करने वाले परिवारों के बच्चों के लिए छात्रावास से संबंधित भौतिक एंव वित्तीय लक्ष्यों तथा व्यय का विवरण **तालिका 3.12** में दिया गया है।

तालिका 3.12: माइग्रेटरी छात्रावास का भौतिक एंव वित्तीय लक्ष्य तथा व्यय

वर्ष	जिलों की संख्या	लक्षित बच्चों की संख्या	वित्तीय लक्ष्य (₹करोड़ में)	व्यय (₹करोड़ में) (प्रतिशत)
2011–12	9	8557	7.53	0.40 (5)
2012–13	15	6359	3.18	1.34 (42)
2013–14	13	6251	2.00	1.10 (55)
2014–15	13	4689	1.50	0.55 (36)
2015–16	17	11259	5.48	0.50 (9)

(स्रोतः आर.एस.के. द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

छात्रावासों में अस्थाई व्यवस्था होने से पलायन बच्चों के लिए छात्रावास संचालित करने का उददेश्य विफल रहा।

2011–16 के दौरान माइग्रेटरी छात्रावासों पर व्यय का प्रतिशत पॉच से 55 प्रतिशत के मध्य रहा। माइग्रेटरी छात्रावास में 37,115 बच्चे ठहराने के लक्ष्य के विरूद्व केवल 16,256 बच्चे (44 प्रतिशत) ही लाभ प्राप्त कर सके थे। पी.ए.बी. ने ए.डब्ल्यू.पी.एण्ड बी. 2015–16 में टिप्पणी की थी कि माइग्रेटरी छात्रावास एक अस्थाई व्यवस्था थी जिसमें पलायन से प्रभावित बच्चों को रखने के लिए कोई स्थाई (Fixed) संरचना नहीं थी। इन सुविधाओं के स्थान एंव समय निर्धारित नहीं किए गए थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आस पास के विद्यालयों के शिक्षक/जिला प्राधिकारी परिवार के पलायन की संभावित तिथि से अवगत नहीं थे। आगे, माइग्रेटरी छात्रावासों के संचालन की तिथिपलायन परिवारों की जानकारी में नहीं थी। आर.एस.के. से लक्ष्य प्राप्त होने के पश्चात जिला प्राधिकारियों ने व्यवस्था की थी। बच्चा अपने परिवार के साथ पलायन न करे यह सुनिश्चित करने के लिए इंटेसिव एडवोकेसी के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए थे। परिणामस्वरूप पलायन करने वाले परिवार के बच्चों को विद्यालय में रोकने की व्यवस्था सफल नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त, ऐसे छात्रावास प्रत्येक जिले में प्रारंभ नहीं किए गए थे। इस प्रकार, पलायन करने वाले बच्चों के लिए छात्रावास संचालित करने का उददेश्य विफल रहा।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि माइग्रेटरी छात्रावास जिलों की आवश्यकतानुसार स्थापित किए गए थे एवं प्रत्येक जिले के लिए आवश्यक नहीं थे। ए.डब्ल्यू.पी.एण्ड बी. में विगत वर्षो के अनुभव एवं जिलों के लिए नई मांग के आधार पर संभावित संख्या एंव क्षेत्र सम्मिलित थे। विभाग ने आगे बताया कि बच्चे अपने परिवार के साथ पलायन न करें यह सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने इंटेंसिव एडवोकेसी प्रोग्राम संबंधी विषय को टीप किया।

इस प्रकार, माइग्रेटरी छात्रावास की स्थापना की आवश्यकता का विभाग द्वारा उपयुक्तरूप से निर्धारण नहीं किया गया था। इस तथ्य के बावजूद कि विभाग द्वारा नामांकन में कमी का एक कारण बच्चों का अपने परिवार के साथ पलायन होना बताया गया था, राज्य में अत्यधिक पलायनवाले क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त प्रयास नहीं किए गए थे ।

3.8 विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए समेकित शिक्षा

आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 3(2), निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एंव पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अध्याय 5 के साथ पढे जाने पर, विनिर्दिष्ट करती है कि समुचित सरकार एंव स्थानीय प्राधिकारी को प्रत्येक निःशक्त बच्चे को उपयुक्त वातावरण में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध हो तथा सामान्य विद्यालयों में निःशक्त विद्यार्थियों के एकीकरण के प्रयास को सुनिश्चित करना चाहिए।

सर्व शिक्षा अभियान के फ्रेमवर्क एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की परिवार सर्वेक्षण के द्वारा पहचान की जानी चाहिए एवं जहां तक संभव हो प्रत्येक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (सी.डब्ल्यू.एस.एन) को आवश्यक सहायक सेवाओं के साथ नियमित विद्यालयों में भेजा जाना चाहिए। उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए आवासीय एंव गैर आवासीय अथवा गृह आधारित शिक्षा के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित विशेष शिक्षक एवं संसाधन शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। विशेष विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा संसाधन सहायता प्रदान की जा सकती थी।

सहायक सेवाएं यथा शारीरिक पहुँच, विशेष उपकरण, पठन सामग्री एंव उपचारात्मक (रेमेडियल) शिक्षण आदि प्रदान किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने इन बच्चों को मानक सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए 'निःशक्त व्यक्तियों को सहायता' योजना (ए.डी.आई.पी.) प्रारंभ की थी (अप्रैल 2005)।

विकासखण्ड में नियुक्त मोबाइल रिसोर्स कंसलटेंट (एम.आर.सी.) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सी.डब्ल्यू.एस.एन.) की पहचान करने एवं उनकी प्रोफाइल बनाने, प्रतिधारण की निगरानी करने, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता–पिता को उपकरणों के उपयोग के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होते हैं। उन्हें तीन माह में कम से कम एक बार ऐसे विद्यालयों का भ्रमण करना होता है जहॉ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे नामांकित हो, एक महीने में 12 सी.डब्ल्यू.एस.एन बच्चों को गृह आधारित शिक्षा एवं माता–पिता को मार्गदर्शन प्रदान करना होता है ।

आर.एस.के. एवं नमूना जांच किए गए जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा एवं लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई जानकारी से निम्नलिखित परिलक्षित हुआः

सी.डब्ल्यू.एस.एन. की पहचान, नामांकन एवं शिक्षण

लेखापरीक्षा ने पाया कि सी.डब्ल्यू.एस.एन. द्वारा बच्चों की पहचान परिवार सर्वेक्षण के दौरान शिक्षकों द्वारा की गई थी। पी.ए.बी. ने 162वीं (अप्रैल 2011) बैठक में टिप्पणी की थी कि पहचान किए गए सी.डब्ल्यू.एस.एन. कुल जनसंख्या के 0.66 प्रतिशत थे जबकि

सी.डब्ल्यू.एस.एन. कुल जनसंख्या के 1.59 प्रतिशत होता है। नेशनल सेम्पल सर्वे ऑन एस्टीमेशन ऑफ ओ.ओ.एस.सी. रिपोर्ट (सितम्बर 2014) के अनुसार, 2014–15 में मध्य प्रदेश में 2.14 लाख सी.डब्ल्यू.एस.एन. थे जबकि राज्य के सर्वेक्षण में 1.34 लाख सी. डब्ल्यू.एस.एन. प्रतिवेदित किए गए थे। इससे दर्शित हुआ कि लक्षित जनसंख्या को परिवार सर्वेक्षण में सम्मिलित नहीं किया गया था।

मोबाइल रिसोर्स कंसलटेटों ने भी उनके विद्यालय भ्रमण के दौरान सी.डब्ल्यू.एस.एन. की पहचान की थी। तथापि 644 एम.आर.सी. के पदों में से राज्य स्तर पर 322 विकासखंडों में 247 पद रिक्त थे। 11 नमूना जांच किए गए जिलों में, एम.आर.सी. के 134 स्वीकृत पदों के विरूद्ध मात्र 78 एम.आर.सी. कार्यरत थे।

2010–11 से 2015–16 की अवधि के दौरान राज्य में पहचान किए गए एवं स्कूल में नामांकित सी.डब्ल्यू.एस.एन. की संख्या **तालिका 3.13** में दी गई है।

तलिका 3.13: राज्य स्तर पर पहचान किए गए एवंविद्यालय में नामांकित सी.डब्ल्यू.एस.एन.

(आंकड़े संख्या में)

वर्ष	पहचान किए गए सी.डब्ल्यू.एस.एन.	विद्यालय में नामांकित बच्चे	विद्यालय से बाहर रहे बच्चे (ओ.ओ.एस.सी.)
2010–11	90,931	87,691	3,240
2011–12	1,26,181	1,22,145	4,036
2012–13	98,838	95,051	3,787
2013–14	93,711	91,865	1,846
2014–15	1,33,834	1,31,161	2,673
2015–16	1,40,269	1,38,365	1,904

(स्रोतः वार्षिक प्रतिवेदन, ए.डब्ल्यू.पी.एण्ड बी. एवं आर.एस.के. के द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

- तालिका 3.13 से देखा जा सकता है कि 2010–16 की अवधि के दौरान 0.91 लाख से लेकर 1.40 लाख सी.डब्ल्यू.एस.एन. की पहचान की गई थी। उनमें से 1,846 से लेकर 4,036 बच्चे विद्यालय में नामांकित नहीं किए गए थे। आर.एस.के. ने बताया (जुलाई 2016) कि इन बच्चों को अत्यधिक निःशक्कता एवं विविध निःशक्तता थी एवं उन्हें एम.आर.सी. द्वारा गृह आधारित शिक्षा प्रदान की गई थी। तथापि, विद्यार्थियों की संख्या जिन्हें गृह आधारित शिक्षा प्रदान की गई थी, आर. एस.के. के अभिलेख में नहीं थी। इसके अतिरिक्त, नमूना जांच किए गए जिलों में एम.आर.सी. द्वारा बी.आर.सी.सी. को प्रस्तुत मासिक प्रतिवेदन में, उनके द्वारा गृह आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए भ्रमण करना नही पाया गया एवं एम.आर.सी ने अपना अधिकतर समय बी.आर.सी.सी. कार्यालयों में कार्यालयीन कार्य करने में व्यतीत किया ।
- विद्यालयों में अध्ययनरत सी.डब्ल्यू.एस.एन. विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षकों की व्यवस्था अपर्याप्त थी। जैसा कि आर.एस.के. द्वारा प्रतिवेदित किया था कि विशेष शिक्षकोंके अर्हता को शिक्षक भर्ती नियम 2005 में सम्मिलित किया गया था एवं 17,296 विशेष शिक्षकों की आवश्यकता के विरूद्ध सी.डब्ल्यू.एस.एन. विद्यार्थियों के लिए लगभग 50 से 75 संविदाशाला शिक्षकों की भर्ती की गई थी। विद्यमान नियमित शिक्षकों को विद्यालयों में सी.डब्ल्यू.एस.एन. विद्यार्थियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण प्रदाय किया गया था। तथापि, 19,910 शिक्षकों के निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या राज्य स्तर पर उपलब्ध नहीं थी ।

परिवहन एवं अनुरक्षण भत्ता

आर.एस.के. के आदेश (सितम्बर 2012 एवं अक्टूबर 2014) के अनुसार ऐसे सी.डब्ल्यू. एस.एन. जो विद्यालय जाने में सक्षम नहीं है एंव उनके घर के आस पास कोई विद्यालय नहीं है, जिनकी निःशक्तता प्रतिशत 40 प्रतिशत से अधिक है तथा जो छात्रावास में नही रह रहे हैं, को ₹ 250 प्रतिमाह की दर से एक वर्ष के लिए ₹ 2500 परिवहन भत्ता दिया जाना है। इसी प्रकार अनुरक्षण भत्ता ₹ 250 प्रति माह की दर से ऐसे सी. डब्ल्यू.एस.एन. को प्रदान किया जाना है जिन्हें पहले गृह आधारित शिक्षा दी गई थी एवं वर्तमान में उन्हें सामान्य विद्यालयों में प्रवेश दिया गया हो तथा उन्हें घर से विद्यालय एंव विद्यालय से घर लाने एवं ले जाने हेतु सहायक की आवश्यकता होती है ।

11 नमूना जांच किए गए जिलों में, 2010–16 के दौरान 29,020 सी.डब्ल्यू.एस.एन. विद्यार्थियों को परिवहन / अनुरक्षण भत्ता दिया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि जिलें में वास्तविक रूप से पात्र हितग्राहियों की संख्या की गणना किए बिना परिवहन भत्ता एंव अनुरक्षण भत्ते का भुगतान तदर्थ आधार पर किया गया था। आर.एस.के. ने सूचित किया (जुलाई 2016) कि इन भत्तों का भुगतान सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उपलब्ध बजट के आधार पर किया गया था ।

सहायक उपकरण एवं विशेष पुस्तकें

दृष्टिहीन एंव अल्पदृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए ब्रेल पुस्तकों एंव लार्ज प्रिंट पुस्तकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई थी।

- सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए निःशक्तता प्रतिशत का मूल्यांकन करने के लिए चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए थे। आर.एस.के. द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार, 2010–16 के दौरान 35 जिलों में 30 से 59 प्रतिशत सी.डब्ल्यू.एस.एन. विद्यार्थियों ने सहायक उपकरण प्राप्त करने हेतु शिविर में उपस्थित हुए। इस प्रकार जिला प्राधिकारी बच्चों /माता–पिता को शिविर में उपस्थित होने हेतु प्रेरित नहीं कर सके। इन शिविरों में लाभार्थी बच्चों की संख्या 32,026 थी जो कि जिलों में कुल सी.डब्ल्यू.एस.एन. की सात से 20 प्रतिशत थी ।

- दृष्टिहीन विद्यार्थियों को ब्रेल पुस्तकों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई थी। वर्ष 2011–16 के लिए 9,613 ब्रेल पुस्तकों के वितरण के लक्ष्य के विरूद्धवितरित की गई पुस्तकों की संख्या आर.एस.के. के पास उपलब्ध नहीं थी। आर. एस.के. द्वारा ब्रेल प्रेस को 2,157 ब्रेल पुस्तकों के आर्डर जून 2013 में विलंब से देने के कारण, शैक्षणिक सत्र 2013–14 के लिए जिलों को पुस्तकों की आपूर्ति मार्च 2014 तक की गई थी। इसी प्रकार, वर्ष 2014–15 में प्रेस द्वारा ब्रेल पुस्तकों के 2,031 सेटों की जुलाई 2014 से नवम्बर 2014 तक विलंब से आपूर्ति की गई थी। 10 नमूना जांच किए गए जिलों में 4,684 दृष्टिहीन विद्यार्थियों में से 2,351 दृष्टिहीन विद्यार्थियों को ब्रेल पुस्तकें उपलब्ध कराई गई थी। नमूना जांच किए गए जिलों में, 9 जिलों[8] के 10,162 अल्प दृष्टि वाले छात्रों में से बालाघाट जिले के 19 छात्रों को वर्ष 2015–16 में लार्ज प्रिंट पुस्तकें प्रदान की गई थी।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि एम.आर.सी. के रिक्त पदों को भरा जाना विचाराधीन था। विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रकिया सरकार द्वारा निर्धारित कर दी गई थी एवं शिक्षा विभाग के सेटअप अंतर्गत विशेष शिक्षकों की भर्ती के लिए कार्रवाई की जा रही थी। चूंकि सी.डब्ल्यू.एस.एन. की श्रेणी, उनकी कठिनाइयॉ एवं उनकी शिक्षण प्रकिया भिन्न थी इसीलिए अल्पावधि प्रशिक्षित शिक्षक उनके लिए सहायक थे। निधियों की कमी के कारण सभी पात्र सी.डब्ल्यू.एस.एन. को परिवहन एंव

[8] बालाघाट–2,227, भोपाल–1,455, बुरहानपुर–994, दतिया–400, धार–1,854, इंदौर–722, झाबुआ–436, रतलाम–361 और शहडोल–1,713।

अनुरक्षण भत्ता प्रदान नहीं किया जा सका था। स्वास्थ्य मूल्यांकन शिविर में अधिक से अधिक सी.डब्ल्यू.एस.एन. विद्यार्थियों की सहभागिता के लिए जानकारी के प्रसार की कार्रवाई की जाएगी ।

3.9 आरंभिक बाल्यकाल देखभाल एवं शिक्षा

86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट करता है कि राज्य, सभी बच्चों के लिए जब तक वे छह वर्ष की आयु पूर्ण नहीं करते हैं आरम्भिक बाल्यकाल देखभाल एवं शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। प्राथमिक शिक्षा के लिए तीन वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को तैयार करने एवं सभी बच्चों के लिए जब तक वे छह वर्ष की आयु पूर्ण नहीं करते हैं आरम्भिक बाल्यकाल देखभाल एंव शिक्षा प्रदान करने के उददेश्य से आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 11 विनिर्दिष्ट करती है कि राज्य सरकार ऐसे बच्चों को निःशुल्क विद्यालय पूर्व शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सकेगी।

निजी क्षेत्र के विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का मानक अविनियमित रहा।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि शासकीय विद्यालयों में विद्यालय पूर्व शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई थी। स्कूल शिक्षा विभाग ने सूचित किया (जुलाई 2016) कि विद्यालय पूर्व संबंधी सभी गतिविधियां महिला एंव बाल विकास विभाग द्वारा की गई थी। एकीकृत बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों में तीन से छह वर्ष की आयु समूह के बच्चों को विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रदान की गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य में विद्यालय पूर्व शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए वर्ष 2010–12 के दौरान ₹ 10.05 करोड़ की वित्तीय सहायता सर्व शिक्षा अभियान से एकीकृत बाल विकास सेवाओं को की गई थी। 2012–13 में, आंगनवाड़ी केंद्रों की सहायता एवं विद्यालय पूर्व शिक्षा किटों के लिए सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत ₹ 1.67 करोड़ अनुमोदित किए गए थे किंतु सम्पूर्ण राशि आर.एस.के. को लौटा दी गई थी। तथापि 2013–16 की अवधि के दौरान सर्व शिक्षा अभियान में कोई प्रावधान नहीं थे।

मार्च 2016 तक, राज्य में 92,210 आंगनवाड़ी/मिनी आंगनवाड़ी संचालित थे। 2010–11 से 2015–16 के दौरान आंगनवाड़ी/मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों में तीन से छह वर्ष के पंजीकृत बच्चों की संख्या को **चार्ट 3.10** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.10: आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों के नामांकन की स्थिति

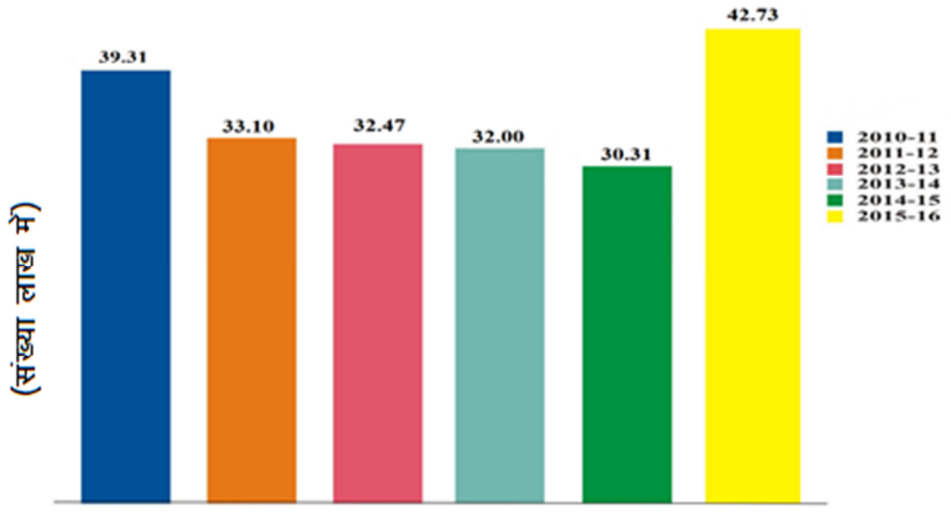

(स्त्रोतः आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवाऐं द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवाऐं (आई.सी.डी.एस.) ने सूचित किया (अगस्त 2016) कि आरभिक बाल्यकाल देखभाल एवं शिक्षा कार्यक्रम (ई.सी.सी.ई.) के लिए दिशानिर्देश एंव अनुदेश तैयार करने के लिए एक निर्णयन प्राधिकारी आरम्भिक बाल्यकाल देखभाल एंव शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) परिषद का गठन किया गया था। ई.सी.सी.ई. के लिए राज्य पाठ्यक्रम तैयार कर दिया गया था एंव ई.सी.सी.ई. कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 453 आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं में समन्वयक नियुक्त कर दिए गए थे ।

यू–डाईस 2015–16 के अनुसार, 15,565 निजी क्षेत्र के विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक अनुभाग थे जिनमें 9.64 लाख बच्चे पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु नामांकित किए गए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि पूर्व प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने या निजी क्षेत्र के विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक अनुभाग आरम्भ करने के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं था। आयुक्त, आई.सी.डी.एस. ने सूचित किया (अगस्त 2016) कि विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रणाली, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत थी एवं इसे महिला एंव बाल विकास को अंतरित करने की कार्रवाई प्रगति पर थी। इस प्रकार, निजी क्षेत्र के विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए मानक सुनिश्चित नहीं किए गए थे एंव ये अविनियमित रहे ।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालय पूर्व शिक्षा की सुविधा का कोई प्रावधान नहीं था। तथापि निजी क्षेत्रों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के लिए तंत्र के अभाव पर उत्तर मौन था।

3.10 अनुशंसाऐं

- आर.टी.ई. अधिनियम/एम.पी. आर.टी.ई. नियम में स्थानीय प्राधिकारियों को सौंपे गए कर्तव्यों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारियों की विभिन्न स्तर की भूमिकाओं एंव उत्तरदायित्वों का वर्णन करने वाली अधिसूचना प्रकिया में थी।

- विभाग को समग्र आई.डी. जोकि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक बालकों को यूनिक आई.डी. के रूप में उसके नामांकन, उपस्थिति एवं सीखने के स्तर की उपलब्धि एवं दोहरे नामांकन एवं नामांकन में दोहरापन को रोकने के लिए आवंटित की जाती है, के साथ आधार सीडिंग सुनिश्चित करना चाहिए ।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि यह शिक्षा पोर्टल द्वारा किया जा रहा था।

- छह से चौदह वर्ष के आयु समूह में सभी लक्षित बाल जनसंख्या के कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए नगरीय क्षेत्रों में सबसे कमजोर वर्ग के बच्चों (Most vulnerable categories of children) की पहचान के लिए सम्मिलित प्रयास किए जाने चाहिए। सबसे कमजोर वर्ग के बच्चों को यूनिक आई.डी. प्रदान करने के लिए उसी दिनांक को सभी जिलों में कमजोर वंचित बच्चों (Vulnerable disadvantaged children) का साथ–साथ पता लगाकर यह किया जा सकता है ताकि पलायन पर उनकी पहचान की जा सके।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) के सी.डब्ल्यू.एस.एन. परिवार सर्वेक्षण में शामिल किए जा रहे थे एवं प्रविष्टियां शिक्षा पोर्टल में की गई थी ।

- तीन वर्ष से अधिक बच्चों को आरम्भिक बाल्यकाल देखभाल एंव शिक्षा के लिए विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व एक विभाग को स्पष्ट रूप से

निर्धारित (डिमार्केटेड) करना चाहिए। यदि यह आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में किया जाना है तब विद्यालय पूर्व शिक्षा की गुणवत्ता के निरीक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए एंव विद्यालय पूर्व शिक्षा से औपचारिक विद्यालय शिक्षा में ट्रांजिशन सुनिश्चित करना चाहिए ।

- विभाग को सत्र के अंतिम कार्य दिवस तक कक्षा में बच्चों की निरन्तरता एवं उपस्थिति की निगरानी के लिए जिलास्तर पर प्रतिधारण के अभिलेखों के संधारण एवं बच्चों की उपस्थिति की रिपोर्टिंग के लिए तंत्र विकसित करना चाहिए ।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि यह शिक्षा पोर्टल द्वारा किया जा रहा था।

- आस पास के क्षेत्र/सीमा, जिनमें बच्चों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जानी है, को अधिसूचित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

- विभाग को सीजनल पलायन की प्रवृत्ति वाले क्षेत्रों की मैपिंग करवानी चाहिए एवं इन क्षेत्रों में माइग्रेटरी छात्रावास सुविधा प्रदान करनी चाहिए। पलायन करने वाले बालकों को वर्ष भर आवासी सुविधा प्रदान करने एवं संभावित ड्रापआउट को रोकने के लिए इंटेंसिव एडवोकेसी प्रोग्राम आयोजित करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि मैपिंग की जा रही थी एवं एडवोकेसी प्रोग्राम की अनुशंसा को टीप कर लिया गया था ।

- विद्यालय से बाहर के बच्चों (ओ.ओ.एस.सी.) की पहचान के तत्काल बाद इनके लिए विशेष प्रशिक्षण एवं विद्यालयों में इन बच्चों को अविलंब मुख्यधारा में लाने की व्यवस्था के लिए प्रयास किए जाने चाहिए ।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि इस संदर्भ में कार्रवाई की जा रही थी ।

- विभाग को रिक्त पदों के विरूद्व अर्हता प्राप्त मोबाइल रिसोर्स कंसल्टेंट नियुक्त करने हेतु तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। सी.डब्ल्यू.एस.एन. को गृह आधारित शिक्षा एवं सी.डब्ल्यू.एस.एन. को समय से आवश्यक सुविधाएं यथा सहायक उपकरण, ब्रेल पुस्तकें तथा परिवहन /अनुरक्षण भत्ता प्रदान किए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए ।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि वार्षिक कार्य योजना 2016–17 के अनुमोदन अनुसार एम.आर.सी. के पदों को भरना प्रकियाधीन था ।